इंटक द्वारा जे० सी० मिल मैनेजमेंट के साथ किया गया समझौता

जीयाजीराव काटन मिल्स लि० सूती कपड़ा उद्योग बिरलानगर प्रथम पक्ष

तथा

मजदूर कांग्रेस प्रतिनिधि यूनियन कपड़ा उद्योग श्रम शिविर बिरलानगर ग्वालियर द्वितीय पक्ष

यह कि द्वितीय पक्ष तथा प्रथम पक्ष के मध्य प्रथम पक्ष के सूती कपड़ा उद्योग में काम करने वाले एम्पलाइज कारीगरों को ग्रेच्युटी का लाभ दिये जाने के संबंध में विवाद चल रहा है जिसे आपसी तौर पर सुलझाने की दृष्टि से तथा प्रथम पक्ष के सूती कपड़ा उद्योग में लगे हुए एम्पलाईज को ग्रेच्युटी का लाभ देने के लिये निम्नांकित समझौता करते हैं ।

समझौते की शर्तें

(१) यह कि किसी श्रमिक को रिट्रेंच किया जावेगा तो उसे केन्द्र विधान १९४७ संशोधित के अनुसार केवल रिट्रेन्चमेंट कम्पनसेशन ही दिया जावेगा ।

(२) यह कि जो श्रमिक दोनों पक्षों की दृष्टि में काम करने के अयोग्य पाये जावेंगे तथा उनकी जगह मेनेजमेंट को काम करने के लिये अन्य श्रमिक रखना पड़े ऐसे सेवा निवृत्त होने वाले श्रमिकों को इस समझौते के अनुसार मूल वेतन के आधार पर ग्रेच्युटी दी जावेगी ।

(३) यह कि श्रमिक की मृत्यु होने की दशा में ग्रेच्युटी इस श्रमिक द्वारा प्रावीडेंट फण्ड के हेतु निम्नांकित व्यक्ति को अथवा उसके अभाव में उसके वैधानिक उत्तराधिकारी को दी जावेगी ।

(४) यह कि किसी कारीगर की जब कि वह प्रथम पक्ष के सेवा में हो उसके मृत्यु होने की दशा में अथवा शारीरिक अथवा मानसिक दृष्टि से सेवा के अयोग्य होने पर प्रावीडेंट फण्ड एक्ट १९५२ के लागू होने के पूर्व के प्रत्येक वर्ष के पूरे सेवा काल के लिये एक माह के मूल वेतन तथा उसके पश्चात् प्रत्येक वर्ष के सेवा काल के लिये आधे महिने के मूल वेतन के हिसाब से ग्रेच्युटी दी जावेगी किन्तु किसी भी दशा में ग्रेच्युटी की रकम १५ माह के मूल वेतन से अधिक नहीं होगी ।

(५) यह कि स्वेच्छा से नौकरी छोड़ने पर १५ वर्ष के निरन्तर सेवाकाल के पश्चात् उपरोक्त पद क्रमांक ४ के अनुसार ग्रेच्युटी दी जावेगी ।

(६) यह कि प्रथम पक्ष द्वारा सेवा समाप्त करने पर -

(अ) दस वर्ष के निरन्तर सेवा काल के पश्चात् किन्तु १५ वर्ष से कम सेवा काल होने पर प्रावीडेंट फण्ड एक्ट १९५२ के लागू होने से पूर्व के प्रत्येक वर्ष के पूर्ण सेवा काल के लिये एक माह के मूल वेतन का ३।४ हिस्से के हिसाब से तथा उसके पश्चात् के प्रत्येक पूरे सेवा काल के वर्ष के लिये आधे महिने के मूल वेतन के हिसाब से ग्रेच्युटी दी जावेगी ।

(आ) १५ वर्ष के निरन्तर सेवाकाल के पश्चात् उपरोक्त पद ४ के अनुसार ग्रेच्युटी दी जावेगी ।

(७) इस समझौते के अनुसार कारीगर का मूल वेतन वह होगा जो उसकी मृत्यु, अयोग्यता, रिटायरमेंट, त्यागपत्र अथवा नौकरी से पृथक होने के पिछले १२ महिने के काम के दिनों का औसतन वेतन मूल वेतन होगा ।

(८) यह जिस अवधि में कारीगर का नाम मस्टर रोल पर न हो वह अवधि नौकरी में ब्रेक मानी जावेगी यदि ऐसा ब्रेक ६ महिने से अधिक होगा तो उस कारीगर का पुराना सेवा काल समाप्त हो जावेगा ।

(९) यह कि कारीगर की नौकरी की अवधि में कुल ब्रेक का योग १८ माह से अधिक न होना चाहिये । यदि १८ माह से अधिक होगा तो उसका पूर्व का सेवाकाल समाप्त समझा जावेगा ब्रेक्स की अवधि का अवधि के दिनों के लिये ग्रेच्युटी का लाभ देय नहीं होगा किन्तु शेष वर्षों के लिये ग्रेच्युटी की पात्रता यथावत बनी रहेगी ।

(१०) यह कि जो कारीगर दुर्व्यवहार के कारण निकाला जावेगा उसे ग्रेच्युटी नहीं दी जावेगी ।

(११) यह कि ग्रेच्युटी की पात्रता के लिये बदली सर्विस जिस वर्ष में कारीगर ने कम से कम २४० दिन काम किया हो मानी जावेगी ।

(१२) यह कि अप्रेन्टिस की प्रथम ६ माह की अवधि ग्रेच्युटी तथा पात्रता के लिये नहीं गिनी जावेगी ।

(१३) यह कि प्रथम पक्ष नोटिस लगाकर कारीगरों को सूचित कर देगा कि बगैर त्याग पत्र दिये नौकरी छोड़ देने से अथवा नौकरी का हक खो देने से उनकी ग्रेच्युटी की पात्रता नहीं रहेगी किन्तु जो कारीगर १५ साल की पूरी नौकरी कर चुके हैं और बगैर छुट्टी लिये गैर हाजिर हैं उन्हें ग्रेच्युटी की पात्रता के लिये गैर हाजिरी के पहिले दिन से ४ महिने के अन्दर त्यागपत्र देना पड़ेगा ।

(१४) यह कि ग्रेच्युटी देय होने से १५ दिन के अन्दर ग्रेच्युटी की रकम दे दी जावेगी ।

(१५) यह कि दोनों पक्षों के द्वारा समय समय पर नियुक्त पैनल के डाक्टरों का शारीरिक अथवा मानसिक अयोग्यता का प्रमाण पत्र कारीगर को प्रस्तुत करना होगा ।

(१६) यह कि यह समझौता १ अप्रेल १९६३ से प्रभावशील होगा ।

मजदूर सभा,
ग्वालियर (मध्यप्रदेश)

मजदूर सभा द्वारा, यूनियन तथा जे० सी० मिल मैनेजमेंट द्वारा किये गये ग्रेच्युटी के समझौते में धारा व धारा प्रस्तावित संशोधन कुल समझौता ।

(१) ठीक है ।

(२) यह कि जो कारीगर काम करने के अयोग्य हो, तथा जो स्वेच्छा से ग्रेच्युटी लेना चाहेंगे तथा उनकी जगह मैनेजमेंट को काम करने के लिये अन्य व्यक्ति रखना पड़े, ऐसे सेवा निवृत्त होने वाले व्यक्ति को इस समझौते के अनुसार एक माह के मूल वेतन या आधे माह का वेतन मय भत्तों में से जो ज्यादा हो, के आधार पर ग्रेच्युटी दी जावेगी ।

(३) ठीक है ।

४(अ) ~~(४)~~ यह कि किसी कारीगर की जब कि वह प्रथम पक्ष की सेवा में हो, उसकी मृत्यु होने की दशा में अथवा शारीरिक अथवा मानसिक दृष्टि से सेवा के योग्य न रहने की दशा में ग्रेच्युटी दी जावेगी । ४(ब) प्रत्येक वर्ष के पूरे सेवाकाल के लिये एक माह के मूल वेतन या आधे माह का वेतन मय भत्तों में से जो ज्यादा हो के हिसाब से ग्रेच्युटी दी जावेगी ।

(५) यह कि स्वेच्छा से नौकरी छोड़ने पर १५ वर्ष के निरन्तर सेवाकाल के पश्चात् उसको पद क्रमांक ४ (ब) के अनुसार ग्रेच्युटी दी जावेगी ।

(६) यह कि प्रथम पक्ष द्वारा सेवा समाप्त करने पर दस वर्ष के निरन्तर सेवाकाल के पश्चात् किन्तु १५ वर्ष से कम सेवा काल होने पर धारा ४(ब) के अनुसार ग्रेच्युटी दी जावेगी ।

(७) यह कि इस समझौते के अनुसार, कारीगर को ग्रेच्युटी का मासिक वेतन वह होगा जो उसकी मृत्यु, अयोग्यता, रिटायरमेंट, त्यागपत्र अथवा नौकरी से पृथक होने के दिनांक से ऐसे पिछले बारह माह का औसत हो जिन पालियों में कारीगर ने काम किया हो ।

(८) ठीक है ।

(९) ठीक है ।

(१०) हटा दी जावे ।

(११) ग्रेच्युटी की पात्रता उन तमाम मजदूरों के लिये होगी जो प्रथम पक्ष की सेवा में हों तथा जिनका नाम मस्टर रोल पर हो।

(१२) ठीक है ।

(१३) ठीक है ।

(१४) ठीक है ।

(१५) हटा दी जाय ।

(१६) यह कि यह समझौता उस दिन से प्रभावशील है जिस दिन कि ग्रेच्युटी की पात्रता के संबंध में केस श्रम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।

मजदूर सभा
ग्वालियर

मजदूर सभा द्वारा प्रकाशित

इंटकी नेताओं द्वारा जे. सी. मिल मालिकों के साथ

ग्रेच्युटी का समझौता मजदूरों के साथ धोका है

मजदूर भाइयों,

इन्टक तथा मिल मालिकों के बीच ग्रेच्युटी का समझौता जिसे मजदूर सभा ने अपने बोर्ड पर लिखा है, की समस्त धाराएँ इस पर्चे में छापी जारही हैं। इसके साथ ही "दि इन्डियन फेक्टरीज जनरल" के ११ वें पुस्तक (Volume) [सन् १६-५७] के पृष्ठ ३७२ से १६४ में फैले हुये ग्रेच्युटी के फैसले का अंग्रेजी से अनुवाद छापा जारहा है। बम्बई के श्रम न्यायालय द्वारा इन्टक तथा बम्बई के मिल मालिकों के बीच ग्रेच्युटी के संबध में चल रहे विवाद पर २८ नवम्बर १६५६ को यह फैसला दिया गया था। मजदूर भाई इन दो फैसलों का मिलान करें।

बंबई श्रम न्यायालय के ग्रेच्युटी सम्बन्धी फैसला

१. यह कि किसी कारीगर की, जब कि वह मिल कम्पनी की सेवा में हो, मृत्यु होने की दशा में या शारीरिक अथवा मानसिक दृष्टि से सेवा योग्य न रहने पर बम्बई के कपड़ा उद्योग में प्रोवीडेन्ट फंड एक्ट १६५२ के लागू होने के पूर्व के प्रत्येक वर्ष के पूर्ण सेवा काल के लिये १ माह का मूल वेतन तथा उसके बाद के प्रत्येक वर्ष के सेवाकाल के लिये आधे महीने के मूल वेतन के हिसाब से ग्रेच्युटी दी जावेगी, किन्तु किसी भी दशा में ग्रेच्युटी की रकम १५ माह के मूल वेतन से अधिक नहीं होगी जो कि कारीगर को अथवा उसके उत्तराधिकारी या हकदार को दे दी जावेगी।

२. किसी कारीगर द्वारा स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण करने या त्याग पत्र देने की दशा में—

कम्पनी में १५ वर्ष के निरन्तर सेवा के पश्चात उसके पद क्रमांक १ में वर्णित दर (स्केल) के अनुसार ग्रेच्युटी दी जावेगी।

३. कम्पनी द्वारा सेवा समाप्त करने की दशा में—

(अ) दस वर्ष के निरन्तर सेवाकाल के पश्चात किन्तु १५ वर्ष से कम सेवा काल होने पर प्रोवीडेन्ट फन्ड एक्ट १६५२ के लागू होने से पहिले के प्रत्येक वष के पूर्ण सेवा काल के लिये १ माह के मूल वेतन के ३।४ हिस्से के हिसाब से तथा उसके बाद के प्रत्येक वर्ष के पूर्ण सेवाकाल के लिये आधे माह के मूल वेतन के हिसाब से ग्रेच्युटी दी जावेगी।

(ब) १५ वर्ष के निरन्तर सेवाकाल के पश्चात उपरोक्त पद क्रमांक १ में वर्णित दर (स्केल) के अनुसार ग्रेच्युटी दी जावेगी।

४. कारीगर की मृत्यु या अयोग्यता या त्यागपत्र अथवा नौकरी से पृथक होने के दिन के पिछले १२ महीनों में दिये गये मूल वेतनों का औसत, इस स्कीम के लिये, मूल वेतन माना जावेगा।

५. इस स्कीम के लिये निरन्तर सेवाकाल को गिनने के लिये अधिक से अधिक ६ माह की सर्विस का ब्रेक-ब्रेक नहीं माना जावेगा, किन्तु इस ब्रेक की अवधि या अवधियों को निरन्तर सेवाकाल के वर्षों का हिसाब लगाते समय नहीं जोड़ा जावेगा। ग्रेच्युटी के हेतु पिछले मेनेजमेंट के समय की हुई सर्विस चाहे वह किसी विशेष मिल या उसी कम्पनी की सिस्टर मिल जो उसी मेनेजमेंट के अन्तर्गत हो कारीगर के निरन्तर सेवा काल के लिये शामिल की जावेगी।

ग्रेच्युटी उस कारीगर को प्राप्त नहीं होगी जो दुराचरण के कारण निकाला जावेगा।

२६. यह निर्णय २५ नवम्बर १६५४ से प्रभावशील होगा, अर्थात् ग्रेच्युटी उन कारीगरों को देय होगी जो कि २२ नवम्बर १६५४ को या उसके बाद सर्विस में नहीं रहे हैं, किन्तु ऐसी दशा में ऐसे कारीगरों द्वारा ग्रेच्युटी के रूप में प्राप्त की गई रकम, एक्स गेसिया भुगतान, या रिट्रेन्चमेन्ट कम्पन्सेशन, या किसी समझौते के कारण दिया गया कम्पन्सेशन, या नौकरी की पृथकता के सम्बन्ध में दिये गये फैसले के कारण दिया गया कम्पन्सेशन, इस ग्रेच्युटी की रकम में से काटकर केवल शेष रकम यदि कोई हो, कारीगर को देय होगी। इस फैसले (अवार्ड) के प्रकाशन की तारीख में जो कारीगर कम्पनी की सेवा में नहीं है, ग्रेच्युटी के लिये उनके दावे या हक स्वीकार नहीं किये जावेंगे यदि उन्होंने फैसला होने की तारीख से ६ माह के अन्दर ही अपने दावे (ग्रेच्युटी के लिये प्रार्थना पत्र-जोर लेखक का) पेश न किये हों। इस प्रकार के प्रार्थना पत्र के प्राप्त होने पर ४ माह के अन्दर ग्रेच्युटी दे दी जावेगी।

३०. यदि कम्पनी चाहे तो उपरोक्त फैसले के आधीन दी जाने वाली ग्रेच्युटी से अधिक रकम भी किसी कारीगर को दे सकेगी।

इंटक द्वारा जे. सी. मिल मैनेजमेंट के साथ किया गया समझौता

जीयाजीराव काटन मिल्स लि० सूती कपड़ा उद्योग बिरला नगर प्रथम पक्ष

तथा

मजदूर कांग्रेस प्रतिनिधि यूनियन कपड़ा उद्योग श्रम शिविर बिरला नगर ग्वालियर द्वितीय पक्ष

यह कि द्वितीय पक्ष तथा प्रथम पक्ष के मध्य प्रथम पक्ष के सूती कपडा उद्योग में काम करने वाले एम्पलाइज कारिगरो को ग्रेच्युटी का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में विवाद चल रहा है जिसे आपसी तौर पर सुलझाने की दृष्टि से तथा प्रथम पक्ष के सूती कपडा उद्योग में लगे हुए एम्पलाईज कारिगरो को ग्रेच्युटो का लाभ देने के लिये निम्नांकित समझौता करते है।

समझौते की शर्तें

(१) यह कि किसी श्रमिक को रिट्रेन्च किया जावेगा तो उसे केन्द्र विधान १६४७ संशोधित के अनुसार केवल रिट्रेन्चमेन्ट कम्पनसेशन ही दिया जावेगा।

(२) यह कि जो श्रमिक दोनो पक्षो की दृष्टि में काम करने में अयोग्य पाये जावेंगे तथा उनकी जगह मेनेजमेन्ट को काम करने के लिये अन्य श्रमिक रखना पडे ऐसे सेवा निवृत्त होने वाले श्रमिको को इस समझौते के अनुसार मुल्य वेतन के आधार पर ग्रेच्युटी दी जावेगी।

P. T. O.

(३) यह कि श्रमिक की मृत्यु होने की दशा में ग्रेच्युटी इस श्रमिक द्वारा प्रोवीडेन्ट फन्ड के हेतु निम्नांकित व्यक्ति को अथवा इसके अभाव में उसके वैधानिक उत्तराधिकारी को दी जावेगी।

(४) यह कि किसी कारिगर की जब की वह प्रथम पक्ष के सेवा में ही उसके मृत्यु होने की दशा में अथवा शारीरिक अथवा मानसिक दृष्टि से सेवा के योग्य न रहने की दशा में प्रोवीडेन्ट फन्ड एक्ट १९५२ के लागू होने के पूर्व के प्रत्येक वर्ष के पूरे सेवा काल के लिये एक माह के मूल्य वेतन तथा उसके पश्चात प्रत्येक वर्ष के सेवा काल के लिये आधे महिने के मूल्य वेतन के हिसाब से ग्रेच्युटी दी जावेगी। किन्तु किसी भी दशा में ग्रेच्युटी की रकम १५ माह के मूल्य वेतन से अधिक नहीं होगी।

(५) यह कि स्वेच्छा से नौकरी छोडने पर १५ वर्ष के निरन्तर सेवा काल के पश्चात उपरोक्त पद क्रमांक ४ के अनुसार ग्रेच्युटी दी जावेगी।

(६) यह कि प्रथम पक्ष द्वारा सेवा समाप्त करने पर:—

(अ) दस वर्ष के निरन्तर सेवा काल के पश्चात किन्तु १५ वर्ष से कम सेवा काल होने पर प्रोवीडेन्ट फन्ड एक्ट १९५२ के लागू होने से पहिले के प्रत्येक वर्ष के पूर्ण सेवा काल के लिये एक माह के मूल वेतन का ३:४ हिस्से के हिसाब से तथा उसके पश्चात के प्रत्येक पूरे सेवा काल के वर्ष के लिये आधे महिने के मूल वेतन के हिसाब से ग्रेच्युटी दी जावेगी।

(आ) १५ वर्ष के निरन्तर सेवा काल के पश्चात उपरोक्त पद ४ के अनुसार ग्रेच्युटी दी जावेगी।

(७) यह कि इस समझौते के अनुसार कारीगर का मूल वेतन वह होगा जो उसकी मृत्यु, अयोग्यता, रिटायरमेंट, त्याग पत्र अथवा नोकरी से पृथक होने के पिछले १२ महिने के काम के दिनों का औसतन वेतन मूल वेतन होगा।

(८) यह जिस अवधि में कारीगर का नाम मस्टर रोल पर न हो वह अवधि नौकरी में ब्रेक मानी जावेगी यदि ऐसा ब्रेक ६ महिने से अधिक होगा तो उस कारीगर का पुराना सेवा काल समाप्त हो जावेगा।

(९) यह कि कारीगर की नोकरी की अवधि में कुल ब्रेक का योग १८ माह से अधिक न होना चाहिये। यदि १८ माह से अधिक होगा तो उसका पूर्व का सेवा काल समाप्त समझा जावेगा ब्रेक्स की अवधि का अवधि के दिनों के लिये ग्रेच्युटी का लाभ देय नहीं होगा किन्तु शेष वर्षों के लिये ग्रेच्युटी की पात्रता यथावत बनी रहेगी।

१०. यह कि जो कारीगर दुर्व्यवहार के कारण निकाला जावेगा उसे ग्रेच्युटी नहीं दी जावेगी।

११ यह कि ग्रेच्युटी की पात्रता के लिये बदली सर्विस जिस वर्ष में कारीगर ने कम से कम २४० दिन काम किया हो मानी जावेगी।

१२ यह कि अप्रेन्टिस की प्रथम ६ माह की अवधि ग्रेच्युटी तथा पात्रता के लिये नहीं गिनी जावेगी।

१३. यह कि प्रथम पक्ष नोटिस लगाकर कारीगरों को सूचित कर देगा कि बगैर त्याग पत्र दिये नौकरी छोड़ देने से अथवा नौकरी का हक खो देने से उनकी ग्रेच्युटी की पात्रता नही रहेगी किन्तु जो कारीगर १५ साल की पूरी नौकरी कर चुके हैं और बगैर छुट्टी लिये गैर हाजिर है उन्हे ग्रेच्युटी की पात्रता के लिये गैर हाजिरी के पहिले दिन से ४ महिने के अन्दर त्याग पत्रदेना पड़ेगा।

१४. यह कि ग्रेच्युटी देय होने से १५ दिन के अन्दर ग्रेच्युटी की रकम देदी जावेगी।

१५. यह कि दोनों पक्षों के द्वारा समय-समय पर नियुक्त पेनल के डाक्टरों का शारीरिक अथवा मानसिक अयोग्यता का प्रमाण पत्र कारीगर को प्रस्तुत करना होगा।

१६ यह कि यह समझौता १ अप्रेल १९६३ से प्रभावशील होगा। १०-९-६३

उपरोक्त दोनों फैसलों के मिलान करने से यह विदित होगा कि इंटक के द्वारा किया गया समझौता बहुत अंशों में बम्बई के फैसले की नकल होने के बावजूद भी बहुत बातों में अलग है। यह अलगाव, मजदूर सभा की राय में, इन्टक के द्वारा मिल मालिकों को खुश करने और मजदूरों को अपनी गुलामी में रखने के लिये किया गया है। मिसाल के लिये इन्टक के द्वारा किये गये समझौते की धारा ११ तथा धारा १५ का बम्बई के फैसले में कोई उल्लेख नहीं है। इसी प्रकार इन्टक द्वारा किये समझौते की धारा ५ के लागू होने की दशा में धारा ४ पूरी पूरी तरह लागू है जबकि बम्बई के फैसले की धारा २ में ऐसी बात नहीं है।

इस प्रकार बम्बई के फैसले द्वारा सभी मजदूरों को चाहे वह बदली हों या जातू, फैसले की शर्तों को पूरा करने पर ग्रेच्युटी दी जावेगी जब कि इन्टकी समझौते में बदली कारीगरों के लिये २४० हाजिरी की कैद लगा कर उन्हें ग्रेच्युटी के हक से वंचित कर दिया गया है। यह है इन्टक की मिल मालिकों के साथ वफादारी का नमूना। अब जो जातू कारीगर रह जाते हैं उन्हें भी यदि वे १५ वर्ष निरन्तर सेवाकाल के पश्चात नौकरी छोड़ना चाहे तो इन्टकी समझौते के अनुसार उन्हें भी अपने को शारीरिक अथवा मानसिक अयोग्यता का उन डाक्टरों का सार्टिफिकेट पेश करना होगा जो मजदूर कांग्रेस और मिल मालिकों द्वारा नियुक्त किये गये हों। अर्थात बदली कारीगर तो इस समझौते के कारण ग्रेच्युटी के लाभ से लगभग वंचित हो ही गये जातू कारीगर भी जब तक इन्टकी नेताओं की कृपा कोर के दास न हो तब तक ग्रेच्युटी के अधिकारी नहीं होंगे।

इसके बाद भी इन्टकी नेताओं का यह दावा है कि उनके द्वारा किया गया समझोता, ग्रेच्युटी के सम्बन्ध में किये गये अब तक के समझौतों से सबसे अच्छा है। जबकि उक्त तथ्य यह सिद्ध करते हैं कि बम्बई श्रम न्यायालय द्वारा किये गये सन १९५६ के फैसले से भी कहीं खराब यह समझौता है। जब कि होना यह चाहिये था कि यह समझौता बम्बई के फैसले से अच्छा होता क्योंकि यह समझौता लगभग ७ साल पश्चात हुआ है और तबसे मजदूर को बढ़ती हुई मेंहगाई का सामना करना पड़ रहा है। निरन्तर बढ़ रहे टैक्सों से मजदूर परेशान है और मूल वेतन मजदूरों की खाने की समस्या तक हल नहीं करता। इसलिये आज का समझौता मजदूर को मिलने वाले मूल वेतन के आधार पर न होकर कुल वेतन के आधार पर होना चाहिये। जिसे अखिल भारतीय इन्टकी नेता श्री अम्बेकर ने भी मन्जूर किया है। पर ग्वालियर के इन्टकी नेताओं की मंडेलिया भक्ति प्रसिद्ध है और सभी मजदूर जानते है कि लचर समझौतों के साथ ही ये इन्टकी नेता काम बाढ़ और छंटनी के जबरदस्त समझोते करते रहे हैं।

मजदूर सभा ग्रेच्युटी दिये जाने की विरोधी नहीं है पर ग्रेच्युटी की मजदूर विरोधी धाराओं नं० ४, ५, ६, १०, ११, तथा १५ की विरोधी है और उसके लिये आंदोलन करने के लिये कटिबद्ध है।

मजदूर सभा समस्त मजदूरों से आव्हान करती है कि मजदूर सभा द्वारा चलाये जाने वाले आंदोलन का जबरदस्त समर्थन करते हुए इन्टकी नेताओं के इस नापाक समझौते की धाराओं को बदलवायें।

मजदूर एकता जिन्दाबाद। मजदूर सभा जिन्दाबाद।

रा० सर्वटे — अध्यक्ष, मजदूर सभा

२ अक्टूबर १९६३

बालकदास — मन्त्री, मजदूर सभा

श्रीकृष्ण प्रेस, लश्कर

बोनस में देरी क्यों ?

१९६२ के वर्ष के बोनस की वाजिब मांग का फेसला अभी तक नहीं हुआ है। मिल मालिक जून माह में अपना हिसाब शाया कर चुके हैं। मालिको ने शेअर होल्डरों को मुनाफा बांट दिया, १९६३ का वर्ष खत्म होने वाला हैं, लेकिन कमर तोड मेहनत करके मुनाफा कमाकर देने वाला मजदुर अभीतुक बोनस से महरूम हैं। जिसके जवाब दार यहाँ की इन्टकी लीडर व मिल मालिक है ।

मिल मालिक यह रट लगा रहे हैं कि मुनाफा कम हुआ है। इस सम्बन्ध में हमारा मत है कि मुनाफा कम होने की बात में कोई खास तथ्य नहीं है, क्योंकि पिछले साल पैदावार कम नहीं हुई, है। कपडा भी सस्ता नहीं हुआ, कच्चे माल के भावों में कोई खास बढोतरी नहीं हुई। इसके विपरीत इलेक्ट्रिक प्लांट लगजाने से बडी तादाद में श्रमिकों की कमी कीगई, व मेदावार के खर्च में कमी हुई। एसी सूरत में मुनाफा कम बोनस कम की बात करना, मजदूरों के साथ हक तलफी होगी (अन्याय होगा)

बोनस का फेसला जल्दी हो।

मजदुर सभा उज्जैन बोनस की मांग को आगे बढाया है, इस माँग के लिये मजदुरों को बेदार किया है। दो माह के वेतन बराबर के बोनस-इस मांग पर हजारों श्रमिकों के दस्तखत कराकर मांग पत्र को शासन के श्रम मंत्री के पास भेज दिया है। सभा एक एक बार फिर शासन से मिल मालिकों से अनुरोध करती है कि इस वाजिब मांग को पूरा करने बाबद तुरन्त ही अपडी कदम उठावे। बोनस के मांग के लिये अब टालम टूलो को नीति छोडा जावे।

नागदा में बोनस बाँटा जाचुका है। बम्बई में दिसम्बर ६३ तक पूर बोनस बाट देने बाबद घोषणा होचुकी है फिर यहां पर देरी क्यों असलियत में कथित प्रतिनिधि व मिल मालिक हमारी इस मांग के साथ खिलवाड व सोदा बाजी कर रहे हैं।

उक्त कारणों से मजदुरों में बहुत असन्तोष हैं। लिहाजा बोनस जल्द से जल्द बांटने की घोषणा करना चाहिये अगर एक माह के अन्दर इस मांग का सन्तोष जनक निर्णय नहीं हुआ तो मजबूर होंकर हमें शान्तीपूर्व के आन्दोलन करना होगा। जिसकी जवाबदारी मिल मालिक शासन इन्टक पर होगी।

२५ प्रतिशत मँहगाई बढाओ

जिन्दगी के लिये जो चीजें जरूरी हैं उनके भाव लगातार बडे हैं। दुसरी ओर पिछले महिनों में मंहगाई का अंक निकालने का तरीका त्रूटी पूर्ण है। बम्बई के मजदूरों ने इसकी पकड की है। इस सम्बन्ध में जांच जारी है। इस बाबद मजदुर सभा मांग करती है कि महगाई भत्ते में २५ प्रतिशत बढोतरी की जावे। जिससे मजदुरों के घाटे की पूर्ती होसके। आवश्कयक चीजो के भाव बांधे जावे व वाजिब भावों पर मिलने की व्यवस्था की जावे। शासन इस सम्बन्ध में अमली कदम उठावे।

शक्कर बाटने की व्यवस्था में सुधार हो

पिछले एक साल से शकर के भाव में लगातार बढोत्री हुई है। पहिले १० आने सेर तक शकर बिकती थी अब शासन द्वारा १-११ प्रति किलो शकर बेची जारहीहै अगर वास्तव में शकर की कमी हैं तो हम बाहरी

मुल्कों को शकर क्यों भेज रहें हैं। वो भी दस आने किलो में और अपने यहां दुगने भावमें इस शकर को देकर मिल मालिकों को लूटने की छूट देदी हैं।

अगर शकर कम है तो शासन शकर का पूरी तरह से कन्ट्रोल करें। मोजूदा व्यवस्था में लोग काफी समय बरबाद करने व धक्का खाने के बाद भी शकर प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिये यह तरीका गलत है हमारी मांग है कि हर एक को प्रति माह एक किलो शकर के हिसाब से बाटी जाये। व दुकानों का बन्दोवस्त सुविधा जनक ढंग से किया जावे।

हीरा मिल्स के मजदूरों की मांग को पूरा करो।

हीरा मिल्स उज्जैन के श्रमिकों की प्रा. फंड से कर्ज की मांग का मजदूर सभा ने शुरु से ही समर्थन किया हैं। लेकिन एकता के अभाव में इस मांग के लिये कोई बड़ा आन्दोलन नहीं हो सका हैं।

हीरा मिल्स में देसाई सा. के आने के बाद मजदूरों ने उनके समक्ष इस मांग को पेश की। देसाई साहब ने पूरी तरह से आश्वासन दिया कि यह छोटी सी मांग हैं जल्द ही पूरी करदी जावगी। उसके बाद मजदूर इन्टकी लीडरों से मिले तो उन्होंने मांग का समर्थन नहीं किया।

फिर मजदूरों ने अपना मांग को मनवाने के लिये संघर्ष समिति का निर्माण किया और आन्दोलन चालू किया आन्दोलन के दबाव से इन्टक को भी समर्थन करना पड़ा मगर उन्होंने ऊपरी तौर पर समर्थन किया और अन्दरुनी तौर पर आन्दोलन को खत्म करने की साजिशें रचने लगे। तीन मजदूर को डिस मिस किया गया। कुछ मजदुरों को एक पाली से दुसरी पाली में बदल दिया गया कुछ लोगो को पैसे व नौकरी का लालच देकर एकता तोड़ने की कोशिश कीगई व मारपीट करने के लिये भी उकसाया गया।

मजदुर साथियो ने अपनी माँग म. प्र. के मुख्य मन्त्री श्री मिश्रा जी के सामने रखी। उन्होने आन्दोलन स्थगित करने व मांग पर पूरी दया विचार करने बाबद सुझाव दिया मगर इन्टको लीडरो का हरकत जारी है उत्तेजना मक वातावरण पैदा किया जारहा हैं। जबरन लड़ने भिड़ने को कोशिश व गाली गलौच किया जारहा है व औद्योगिक अशान्ति फैलाने की शकल पैदा कीजारही हैं। जिससे कभी भी खतरा होसकता है।

प्रो. फन्ड से कर्ज की सर्व सम्मत माँग के लिये मिल मालिक व शासन ने सरकारी से कामलेना चाहिये और इस मांग पूरा करना चाहिये जिन मजदुरो को बिना सबब कारण के निकाला गया है उन्हे वापस काम पर रखाना चाहिये।

- १९६२ का बोनस फौरन दिया जाये।
- २५ प्रतिशत मंहगाई भत्ता बढ़ाया जावे।
- प्रा० फन्ड से कर्ज की माँग स्वीकृत की जावे।
- शकर की वितरण व्यवस्था में सुधार करो।

अध्यक्ष
अ० रजाक
मजदुर सभा उज्जेन

प्रधान मन्त्री
रामसिंह
मजदुर सभा उज्जेन

आजाद हिन्द प्रि० प्रेस उज्जैन

मजदूर संगठन ! जिन्दाबाद !!

स० सरुपसिंह की गैर कानुनी

और धक्के शाही और सरकार के लाखों रूपयों की हेरा फेरी की

—: कहानी :—

शहरी भाईयो—

सरदार सरुप सिंह के शुभ नाम से हिसार और हांसी का बच्चा २ परिचित है । आप जब नीलीबार ट्रांसपोर्ट सोसाईटी के मैनेजर थे तो हमेशा कम्पनी और वर्करों में झगड़े खड़े रहते थे । आपके चरण कमल वहां से हटते ही अब कई वर्षों से शान्ति हैं । यहां अपनी दाल न गली देखकर आप गरीब वर्करों की बनाई हुई हांसी शर्मा ट्रांस्पोर्ट कोपरेटिव सोसायटी की ओर बढ़े और उसमें दाखिल होकर अपनी दौलत और हेराफेरी के जोर से तमाम गरीबों को वहां से निकालकर स्वयं मालिक बन गए जिसके झगड़े कई सालों से विभाग कोपरेटिव के दफ्तरों में फैसले के लिए पड़े हैं । सोसाईटी पर कब्जा करने के बाद अपने वर्करों को लूटना शुरू कर दिया और कानून के अनुसार कम से कम और लाजमी सहूलियतें एक वर्कर को मिलनी चाहिए थीं उससे भी इन्कार कर दिया । कारोबार, पब्लिक जिन्दगी में सरदार जी बड़े धर्मात्मा और चरित्रवान बने हुए हैं—परन्तु हकीकत में इनकी जिन्दगी और चरित्र भ्रष्टाचार से पुर है । सरदार जी ने हिसार से डाबडा और हांसी से नलवा का रूट काफी दिनों से बन्द कर रखे हैं जिससे आम जनता को काफी तकलीफ है ।

सरदार जी गुरू ग्रन्थ साहिब को मानने वाले हैं जिसमें बहुत से उपदेश की बातों के इलावा यह भी लिखा है कि 'हक पराया नानका उस सूवर उस गाय" परन्तु स० जी का अपना आचरण यह है कि हांसी शर्मा कम्पनी के हर वर्कर का हक जो इन्होंने कानून और आरब में किए हुए समझौतों के अनुसार मिला हुआ है सैंकड़ो रुपये की शक्ल में हर माह खा जाते हैं और जब कोई वर्कर अपना हक मांगे तो उसे नौकरी से अलग कर देते हैं इस समय इन्होंने तीन वर्करों को नौकरी से अलग कर रखा है उनका कसूर यह है कि वह सरदार जी की मर्जी के अनुसार बगैर कुछ लिए बड़ी २ रकमों की वसूली पर दस्तखत नहीं करना चाहते थे ।

इनके दूसरे कारोबार में तो इतना भ्रष्टाचार है कि जिले के अधिकारियों के सामने देश-भक्ती और सरकार की हिमायत का दम भरने वाले इस बगुला-भक्त ने कभी सरकार को पूरा टैक्स नहीं दिया और हजारों की हेराफेरी कर देते हैं । इस सिलसिले में इन्कम टैक्स, सेल्ज टैक्स और पैसेंजर टैक्स के विभाग की ओर से छान-बीन जारी है । इसके अतिरिक्त दूसरे सरकारी विभाग, जिनकी गाड़ियां

सरदार जी के पैट्रोल पम्प से तेल लेती रही है या ले रही है। खूब लूटते रहे हैं जिसके बारे में सरकारी विभाग को पूरी सूचना देदी है।

जाहरी टेपटाप, मेल मिलाप, बातचीत और जबानी जमा खर्च में जो आदमी बहुत अधिक भला धर्मात्मा और ईमानदार लगता है उसकी असली जिन्दगी कुछ और होती है। हम जनता से अपील करते हैं कि वह निकाले हुए वर्करों को रखवाने में हमारी सहायता करे और साथ ही सरकार से पुरजोर मांग करते हैं कि आलसा मोटर कम्पनी, हांसी शर्मा ट्रांस्पोर्ट कोपरेटिव सोसायटी और निरंकारी टायर कम्पनी के बोगस रिकार्ड और हेराफेरी के बारे में पूरी जांच करें।

—आपका

मन्त्री हिसार डिस्ट्रक्टि ट्रांस्पोर्ट वर्कर्ज़ यूनयिन

[हिसार]

श्री रामेश्वर प्रेस हिसार।

Khadan Mazdur Union, Korba (m.p.)

d to AITUC R. N. 436

: Your letter no. MP/MC/3-27, dt/-5-9-63 KORBA

ect : Affiliation Fees- Payment of Arrears due Date 26-9-63

To
The Secretary
All India Trade Union Congress
New Delhi.

2490 28/9/63

Dear Comrade,

In reply to the above communication of yours I have to state as follows :

This Union came into being in the month Of November 1960 and was registered on the 7th day of December of the same year. We sent Rs 20/- as affiliation fees for which R.N.2073 dt/-17-6-61 was passed to us. The membership of the Union then was 250, as per our Annual Returns sent to the Registrar of Trade Unions Govt. of M.P. , a copy of which was sent to you also. Thus we are in arrears for that year to the amount of Rs 5/- only and not Rs 9/- as mentioned in your letter.

The membership for the year 1961-62 was 450 as per our returns to the Registrar of TUs. A copy of the returns was sent to your office. This brings the amount to Rs 45/- only and not 56/-.

The membership of the year 1962-63 fell to 395 which will bring the amount to Rs 40.00.

Thus we would be only in arrears of Rs 90/- all total and not 121.00 as mentioned in the letter. So please correct the same and intimate.

We will begin sending you in instalments the affiliation fees by the first week of October 1963 without fail for which please excuse us.

Thanking you.

Fraternally Yours

PK Thakur

General Secretary

Copy to
Secretary
MPSTUC, Indore.

Com k

1960-61	250.	16.50
1961-62.	450.	45.00
1962-63.	395.	39.50
		101.00
		20.00
		81.00

Paid Rs.-

Fee for 1960-61. is

upto	250.	500	1000
	16.50.	21.50.	29.00

रजि०नं० ७८/८-११-५२

मजदूर सभा

(आल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से सम्बद्ध)

लोहामण्डी, ग्वालियर

क्रमांक ६०।६३

दिनांक ~~२-१०-६३~~

A.I.T.U.C.
Received 5455 8/10/63
Replied

~~श्रीमान्~~ प्रधान मंत्री महोदय,

आल इन्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस
५ झन्डे वालान रानी झांसी रोड न्यू देहली

महोदय,

दिनांक २ अक्टूबर १९६३ को सायंकाल ७ बजे श्री रामचन्द्र - सर्वटे की अध्यक्षता में मजदूर सभा ग्वालियर की ओर से हजीरा मैदान पर हुई आम सभा में जो प्रस्ताव पास किया गया है श्री मान की ओर भेजा जा रहा है।

इस के साथ ही जे०सी० मिलमैनेजमेन्ट तथा मजदूर कांग्रेस के बीच हुए ग्रेच्युटी के समझौते की नकल तथा इस समझौते में मजदूर सभा द्वारा प्रस्तावित संशोधन की प्रति आपकी ओर भेज कर निवेदन है कि प्रस्तावित संशोधन मजदूरों के हित में है अतः उन्हे स्वीकार किया जावे अन्यथा १५ दिन के पश्चात, उक्त संलगन प्रस्ताव के अनुसार मजदूर कांग्रेस तथा जे०सी० मिल मैनेजमेन्ट द्वारा किये समझौते में, मजदूर सभा द्वारा प्रस्तावित संशोधन को मंजूर कराने के लिये आन्दोलन छेड़ दिया जावेगा।

~~भवदीय~~ यह पत्र उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित है। धन्यवाद।

संलगन - पत्र ३

वामनराव [signature]

मंत्री
मजदूर सभा,
ग्वालियर (मध्यप्रदेश)

प्रस्ताव

जीवाजी राव काटन मिल्स लि० गवालियर और मजदूर कांग्रेस गवालियर के बीच मुतअल्लिका उद्योग में काम करने वाले एम्प्लाइज कारीगरों को ग्रेच्युटी का लाभ दिये जाने हेतु एक समझौता दिनांक० -२-६१ के दिन इंडस्ट्रियल कोर्ट के समक्ष समझौता किया गया है। इस समझौते से मजदूरों को जो ग्रेच्युटी का लाभ मिलना चाहिये - वह पूर्ण रूप से नहीं मिलेगा।

ग्रेच्युटी के सम्बन्ध में बम्बई के श्रम न्यायालय द्वारा २८ नवम्बर १९५६ को फैसला दिया था। इस ग्रेच्युटी के फैसले से जितना लाभ बम्बई के मजदूरों को मिल रहा है उतना लाभ इन्टक के द्वारा यहाँ पर जो समझौता किया है उससे नहीं मिलेगा।

गवालियर इन्टक के द्वारा ग्रेच्युटी के इस समझौते से मजदूरों में तीव्र असन्तोष है और आम मजदूर यह मानने लगा है कि अगर इस समझौते में बुनियादी रूप से परिवर्तन नहीं हुआ तो मजदूरों के ग्रेच्युटी के बुनियादी अधिकार पर असर पड़ेगा।

अतः मजदूर सभा द्वारा आज दिनांक २ अक्टूबर ६२ को बुलाई गई यह आम सभा जेसी मिल मैनेजमेन्ट तथा मजदूर कांग्रेस द्वारा किये गये ग्रेच्युटी के समझौते के प्रति अपना तीव्र असंतोष जाहिर करती है और मांग करती है कि १५ दिन के अन्दर उक्त समझौते में मजदूर विरोधी धाराओं में परिवर्तन किया जावे अन्यथा मजदूर सभा गवालियर को मजबूर होकर तीव्र आन्दोलन करना पड़ेगा।

यह आम सभा जे०सी० मिल मजदूरों को आव्हान करती है कि ग्रेच्युटी के इस समझौते के खिलाफ मजदूर सभा द्वारा चलाये जाने वाले आन्दोलन में शामिल हों।

दिनांक २-१०-६२

प्रस्तावक :- बालचन्दास

समर्थक :- सतीश चन्द्र गोयिला

बालचन्दास

मजदूर सभा,
ग्वालियर (मध्यप्रदेश)

No.148/S/63
15 Oct. '63

To,

The General Secretary,
Khadan Mazdoor Union,
Korba, M.P.

Subs- Affiliation fees- Payment of arrears.

Dear Comrade,

With reference to your letter dated 26th Sept. The revised statement of account is as under.

Year	Membership	Amount
1960-61	250	16.50
1961-62	450	45.00
1962-63	395	39.50
		101.00
Less paid Rs. vide R.No.2073 . . .		20.00
Balance to be paid		81.00

From the above statement it will be clear that an amount of Rs.81.00 is due from you and not Rs.90/- as mentioned in your above noted letter.

Please arrange to remit the amount at an early date.

With greetings,

Yours fraternally,

(Satish Loomba)
Secretary.

रजिस्टर्ड नं० ३०६

GRASIM MAJDOOR UNION, NAGDA (M.P.)

(AFFILIATED TO AITUC.)

ग्रेसिम मजदूर यूनियन बिरला ग्राम नागदा, (म.प्र.)

(अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन काँग्रेस से सम्बन्धित)

कार्यालयः-नागदा मंडी

दिनांक.....१९६ ई०

श्रीमान प्रधान मंत्री सा.....,
अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन काँग्रेस, न्यू देहली

AITUC 3865 24/10/63

विषय:- इण्टक का एकाधिकार खत्म करो और श्रमिको का प्रतिनिधित्व करने के लिये गुप्तमत दान को प्रणोली लागू करो।

माननोय महोदय,

निवेदन है कि सन् १९४८ में हमारे म. प्र. शासन के श्रम मिनिस्टर सा. ने बम्बई इण्डस्ट्रोयल रिलेशन्स एक्ट को नकल करके म. प्र. इण्डस्ट्रोयल रिलेशन्स एक्ट बनाकर उसके मातहत हर प्रकार के उथोगों में काम करने वाले श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने केलिये इण्टक को एकाधिक दे रखा है। इण्टक के नेताओं ने मालिको को गोद में बैठकर मजदूर विरोधो काम कर रहे है। भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरो, धोस, दबाव बढ़ रहे है। और आज तक श्रमिको के जोवन स्तर को उंचा उठाने वालो मांगे जो मो है दबा कर बैठे है। इसके कारण हमारे म. प्र. और नागदा मे हर उथोग में कार करने वाले श्रमिकों मे असंताष बढा है। और अब इन्दोर, उज्जैन, नागदा, रतल ग्वालियर। भोपाल, राजनांदगांव, भिलाई आदि औथोगिक क्षेत्रो में श्रमिको में बढा हुआ असंत अला २ तरोके से फूटकर बाहर आरहा है। (और औधोगिक अशान्ति पैदा हुई है) और य गति और तेज हो रहाो है।)

इसलिये ग्रेसिम मजदूर युनियन आपसे यह मांग करती है कि प्रजातन्त्र को जिन्दा र समाजवादो समाज को मजबूतो से कायम करने के लिये जिस प्रकार ग्राम पंचायतों, म्यूनिसोपालि नगर निगमों, विधानसभा, लोक सभा में नागरिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिये नागरिको को मतदान का अधिकार प्राप्त है। जिसको नागरिक हर पांच वर्ष मे इस्तेमाल करते है।

..... २

Regd. No. 306.

रजिस्टर्ड नं० ३०

GRASIM MAJDOOR UNION, NAGDA (M.P.)

(AFFILIATED TO AITUC.)

ग्रेसिम मजदूर यूनियन बिरला ग्राम नागदा, (म.प्र.)

(अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस से सम्बन्धित)

कार्यालयः-नागदा मंडी

प्र० नं०

दिनांक..............................१९६

इस प्रकार श्रमिकों का फेक्ट्रयो में प्रतिनिधित्व करने के लिये श्रमिको की संस्था मैंने के लिये म. प्र. इण्डस्ट्रोयल रिलेशन्स एक्ट (जिससे अधिक सदस्यता हो उसे यूनि मान्यता दी जायगी प्रावधान है। लेकिन इस प्रावधान का फायदा श्रमिको को प्राप्त होता है) ~~इस संबंध मे पत्र के साथ पर्चा नत्थी है~~। मे संशोधन करके गुप्त मतदान से श्र प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया जाय। और इंटक का एकाधिकार खत्म किया

गंगासिंह
प्रधानमंत्री
ग्रेसिम मजदूर यूनियन
बिरला ग्राम नागदा
....

Regd. No. 306.

GRASIM MAJDOOR UNION, NAGDA (M.P.)

(AFFILIATED TO AITUC.)

ग्रेसिम मजदूर यूनियन बिरला ग्राम नागदा, (म.प्र.)

(अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस से सम्बन्धित)

कार्यालय:-नागदा मंडी

क्रा० नं०

दिनांक २-३-१०-१९६३ ई०

A. I. T. U. C.
Received 3906 [illegible]
Replied....................

श्रीमान प्रधान मंत्री महो.,
अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस
न्यू देहली ।

विषय:- ग्रेसिम व भारत कामर्स मील द्वारा कायम
बगीचा मे काम करने वाले श्रमिकों का मांग
करने बाबद ।

माननीय महोदय,

निवेदन है कि ग्रेसिम व भारत कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज से संबंधित गार्डन
कायम कर रखा है । इस विभाग में पचासों श्रमिक तासी दिन काम करती है । इससे
बाकायी श्रमिक है जो ८ -वर्ष से काम रक कर रहे है ।

लेकिन इन श्रमिकों को न तो साप्ताहिक छुट्टी दी जाती है न सवैतनिक
छुट्टी दी जाती है, न पगार का कोई स्टण्डर्ड कायम है। न इन श्रमिकों को बोनस दिया
न इनके राज्य कर्मचारी बीमा योजना का कोई फायदा मिलता है न इनका प्रा. फ. का
है, न इन्हे परमिनेण्ट किया जाता है, इन श्रमिकों को किसी भी प्रकार से कोई कानूनी
प्राप्त नही है । इसलिये दो मीलो के बगीचों काम करने वाले श्रमिकों में असंतोष बढ र

इसलिये आपसे ग्रेसिम मजदूर युनियन [illegible] मांग करती है कि बगीचों
करने वाले श्रमिको को निम्न लिखित मांगे पुरी कराने के लिये उचित कारवाही करके ग्रे
युनियन को सुचित करने की कष्ट करें ।

<u>बगीचे वाले श्रमिकों को मांगे ।</u>

१:- २६ दिन का महिना माना जावे और साप्ताहिक छुट्टी दी जावे ।

२:- पगार का स्टैण्डर्ड कायम किया जावे ।

३:- बगीचों मे काम करने वाले श्रमिकों पर भी प्रा. फ. स्कीम १९५२ लागू

४:- पुराने श्रमिकों को परमिनेण्ट किया जावे।

.... २

Regd No. 306. रजिस्टर्ड नं० ३०

GRASIM MAJDOOR UNION, NAGDA (M.P.)

(AFFILIATED TO AITUC.)

ग्रेसिम मजदूर यूनियन बिरला ग्राम नागदा, (म.प्र.)

(अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस से सम्बन्धित)

कार्यालयः-नागदा मंडी

जा० नं० दिनांक..............................१९६

५:- सवैतनिक छुट्टी दी जावे ।

६:- प्रतिवर्ष हरक श्रमिक को बोनस दिलाया जावे ।

कनकसिंह

प्रधान मंत्री

ग्रेसिम मजदूर यूनियन ,

प्रतिलिपी.

श्रीमान मुख्य मंत्री सा. म. प्र. शासन भोपाल ।
श्रीमान श्रम मंत्री सा. म. प्र. शासन भोपाल ।
श्रीमान चीफ फैक्टरी इन्सपेक्टर सा. म. प्र. शासन इन्दौर ।
श्रीमान फैक्टरी इन्सपेक्टर सा. जिला उज्जैन ।
श्रीमान गर्व. लेबर आफिसर सा जिला उज्जैन ।
श्रीमान जनरल मैनेजर सा. ग्रेसिम बिडला ग्राम ।
श्रीमान जनरल मैनेजर सा. भारतकामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज बिडलाग्राम ।
श्रीमान प्रधान मंत्री सा. म. प्र. ट्रेड यूनियन कांग्रेस ।
श्रीमान प्रधान मंत्री सा. अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस न्यू देहली । ✓

For T.U.R

CHHATTISGARH TRADE UNIONS DEMAND.

Open B.N.C.Mills on 15th January.

Rajnandgaon (M.P.).

Dt/-22-12-1963.

More than fifty trade Unionsleaders responded to a call by five workers of the B.N.C.Mills, which remains closed since 20th November'1962 and has deprieved more than 2500 families of their livelihood and the town is hit by one of worst economic crisis. Trade Unions affiliated to A.I.T.U.C., I.N.T.U.C., U.T.U.C., and other independent uhions participated. A special feature of this conference was that different categories of workers including middle class employees such as Bank employees and secondary school teachers took active part in the Conference.

Presidium elected- consisted of three Mill-Worker-Bajirao Shande, Babulal Pradip, & Shri Bisahulal Shrivastava-Secretary of the (I.N.T.U.C.)Mill Union; and Shri C.M.Kappor general Secretary of the M.P.Bank-Employees Union. After hearing the other members of Presidium on latest position regarding the only Cotton Mill of the region-Mr. Kapoor bitterly criticised the Govt.s 'indifferent attitude for the mill which is closed since past one year. He said that apparently the D I R is used on people whenscever they demand justice and claim normal rights. Govt. has failed to use it against profiteers, xxxxx, black-marketeers and in the particular case against a man who has by closing the Mill at the time of Emergency not only deprieved the workers of employment but betrayed the Nation. xxx He assured a huge gathering of workers that all possibl co-operation would be available from the Bank Employees

Sudhir Mukerjee Acting-President of the Bhilai Steel Mazdur Sabha & Prakash Ray-Secretary-Samyukta-Khadan Mazdur Sangh (Both A.I.T.U.C.) in the loudly applauded speeches said that the mill workers have left no stone upturned, so far as peaceful actions are concerned. Now they have nothing but to resort to direction action.

Other speakers, who assuredof their co-operation for direct action in speeches -are Surva-Shri V.Vyas of Central Bank Employees Union,Chunnilal of Raigarah Jute Mills Union;Gaurilal-Raipur Motor Kamgar Unions & Rohini Choubey of Middle Schools Teacher's Union, Other unions ,who participated are sweepers union-Rajnandgaon & Raipur;Samyukta Khadan Mazdur Sangh;Rajhara-& Nandini Branches;Lal Zhanda Bidi Mazdur Sabha,P.W.D.-Workers Union and many others.

By one resolution adopted the conference formed the Action-Committee of all the present representatives of the unions and by the other resolution demanded the Government to re-start the Mill by the15th January,1964.The action -Committee will meet on 15th-January and decide direct action,if the Mill does not open. On the 12 & 13th January at all places in Chhattis-Garh " OPEN THE B.N.C.MILL DAY " would be observed by all the Unions.

This is the first occassion in Chhattisgarh when atmost all the Unions have united and demanded so firmly. Hail labour Unity .

...

Ramdas Yagnik
25.12.63

क्या सुप्रीम कोर्ट के इस
फैसले के आधार पर [struck through]
निकाले गये साथियों को भी
फायदा पहुंचेगा? यदि आप
की एक प्रति या मुकदमे वाले
की एक [illegible] प्रति
भेज सकें तो बड़ी कृपा होगी
मैं भी [struck through] 1949 में काम
से (रेल्वे) अलग किया गया
था। यदि कोई गुंजाइश हो तो
मैं आपकी सलाह से
लिखूंगा। शीघ्र उत्तर की प्रतीक्षा
में। अभिनंदन सहित। आपका
श्यामलाल चौबे

पोस्ट कार्ड
POST CARD
केवल पता
ADDRESS ONLY

CORRECT ADDRESS

INDIA भारत

NEW DELHI 26 4 PM

Shri K. G. Shrivastava
Secretary, All-India Trade
Union Congress
Rani Jhansi Road New Delhi
New Delhi 1

जिला बीड़ी मजदूर युनियन,
दमोह [म. प्र.]

कार्यालय जिला बीड़ी
मजदूर यूनियन सराफा
बाजार दमोह (म.प्र.)

Received 4786 28.12.63
Replied

प्रिय कामरेड

दिनांक 6 दिसंबर के "टाइम्स ऑफ इंडिया"
में सुप्रीम कोर्ट का रेल्वे कोड की धारा 148 व 149 को
Invalid घोषित किया गया है और इन्हें विधान की
धारा 310 व 311 के विरुद्ध बताया गया है!

जिन साथियों को remove किया गया था
उसको भी गलत बताया गया है। कृपया यह बतलाने
का कष्ट करें कि ये आर्डर किस सन में निकाले गये
थे क्या इनमें 1949 में निकाले गये लोग भी शामिल हैं?

1 January 1964

Dear Comrade Chaube,

Reference your undated post card. The Supreme Court judgement declaring rule 148 and 149 of the Railway Establishment Code as ultravirous is in respect of a particular case. Ofcourse the implications are general. The court decision does not say anything about the past or present cases. It has given a judgement in a particular case. The effectedx personell have a choice either to apply to the Railway Board with their individual case for review in the light of this judgement or to file a civil suit on the same analogy. The copy of the judgement is very voluminous and cost something like 300/- rupees.

With greetings,

Yours fraternally,

(K.G.Sriwastava)

To,

Com. Shyam Lal Chaube,
Jhilla Bidi Mazdoor Union,
Sarafa Bazar,
Damoh, (M.P.)

रजि०नं० १४८/८-१२-५३

मजदूर सभा

(आल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से सम्बद्ध)

लोहामण्डी, ग्वालियर

क्रमांक ६५६ मजदूर ६४ दिनांक १०-१-६४

A.I.T.U.C. SH 83 20/1/64

कामरेड सेक्रेटरी,

अ० भा० ट्रे० यू० कांग्रेस

५ झंडेवालान लक्ष्मीबाई रोड नई दिल्ली

महोदय,

निवेदन है कि आप द्वारा भेजे गये सरक्यूलर मिले, बम्बई कान्फ्रेन्स के लौटने के बाद मजदूर सभा गवालियर की ओर से मजदूर सभा की जनरल कौंसिल की बैठक बुलाई गई जिसमें बम्बई कान्फ्रेन्स की रिपोर्ट पर प्रकाश डाला गया, इस मीटिंग में यह भी तय किया गया कि गवालियर में मेला होने की वजह से १५ जनवरी ६४ के पहिले कोई पब्लिक मीटिंग नहीं हो सकती है इस लिये मिल गेटों पर गेट मीटिंग व नुक्कड़ मीटिंगें ली जावें और फैसले के मुताबिक जे०सी०,मिल बिरला नगर, सिमको कम्पनी, गवालियर पाटरीज लश्कर, सीमेन्ट फैक्ट्री बामौर, आदि गेटों पर गेट मीटिंगें तथा नुक्कड़ मीटिंगें ली गई। जिसमें ११ सूत्री प्रोग्राम पर प्रकाश डाला गया इन गेट मीटिंगों व नुक्कड़ मीटिंगों में करीब तीन हजार मजदूरों ने भाग लिया।

मजदूर सभा की ओर से एक परचा हेन्डबिल मजदूरों में बितरित किया गया और म० प्र० ट्रे० यू०कां० इन्दौर द्वारा भेजी गई मजदूर संघर्ष की २५० प्रतियां जिसमें ११ सूत्री प्रोग्राम व कां०डांगे द्वारा नोटिस छपा था, मजदूरों को बेचा गया।

पी०टी० ओ०

इन ११ सूत्री मांगों को लेकर २० जनवरी ६४ को आम सभा करना निश्चित की गई है तथा ११ मांगों को लेकर हस्ताक्षर आन्दोलन और जनवरी के आखिरी हफ्ते में मशाल जुलूस निकालने का भी फैसला किया गया है। और जो भी कार्यक्रम होगा उसकी रिपोर्ट आपकी ओर भेजदी जावेगी।

प्रतिलिपी :-

का. सेक्रेटरी महोदय,
म०प्र०ट्रे०यू० काँग्रेस
४९५ महात्मा गांधी रोड
इन्दौर

आपका साथी
रामचन्द्र सर्वटे
रा. सर्वटे

मजदूर सभा,
ग्वालियर (मध्यप्रदेश)

VERMA QUITS: INDORE INTUC RIFT WIDENS

INDORE, January 20 (PTI)—Mr Ram Singh Verma President of the Indore Mill Mazdoor Sangh and vice-president of the Indian National Trade Union Congress, told PTI here yesterday that he had informed Mr Kashinath Pande, president of the INTUC that he would discontinue forthwith to shoulder the responsibilities of the presidentship of the Sangh.

Mr Pande is here in connection with the 11th annual conference of the Western Railway Mazdoor Sangh.

Mr Verma said he had already tendered his resignation to the INTUC high command some time ago but he had not conveyed his decision in writing to Mr Pande.

He said he had taken this decision because for some time past the State's Labour Department and the entire Government force was working against him, all illegal and anti-labour things were being done and workers were being incited and dragged into mutual quarrels.

Meanwhile, Mr Kashinath Pande addressing a rally organized by one of the factions opposed to Mr Ram Singh Verma, appealed to workers to maintain complete peace and harmony in the city and cooperate with him in settling the dispute between the two warring factions of the sangh.

Mr Pande has been asked by the INTUC working committee to arbitrate in the sangh's dispute.

His speech was repeatedly interrupted by slogans demanding the removal of Mr Verma.

Shramshivir, headquarters of the MP INTUC and venue of the meeting, was ringed by a strong posse of teargas squads and the police. The Inspector General of Police, the District Magistrate and senior police officials were present.

Later, Mr Pande addressed a meeting of the joint board of representatives of the sangh.

Kashinath Pande takes over

INDORE, Jan 20 (PTI)—Mr Kashinath Pande, President of the Indian National Trade Union Congress has taken over as President of the INTUC-affiliated Indore Mill Mazdoor Sangh "for the time being."

Announcing this at a press conference here today, the INTUC chief said Mr Ram Singh Verma, until yesterday President of the Sangh, had been relieved following his resignation.

Mr Pande said he would hand over charge in the next 15 or 20 days to a representative of the High Command who would function as the President till fresh elections of the Sangh were held in May this year.

म ज दू र   स भा

गोशपुरा न० २
गवालियर सिटी
१५-२-१९६४

प्रिय साथी सतीश लुम्बा,

आपका सर्कुलर-नेशानल कम्पैन कमेटी ~~कमेटी~~ के ~~लि~~ अखिल भारतीय कार्यक्रम के बारे में - प्राप्त हो गया है। इस कार्यक्रम को अमली रूप देने के लिये आवश्यक प्रयत्न आरंभ हो गये हैं।

दिनांक ६ फरवरी को इस कार्यालय द्वारा भेजे गये पत्र का- जिसमें हमने २२-२३ फरवरी को गवालियर में किये जाने वाले कन्वेंशन के संबंध में लिखते हुए आपसे श्री एस० एम० बेनर्जी एम० पी० को भेजने का आग्रह किया था- कोई जवाब आज तक प्राप्त नहीं हो सका। यह पत्र श्री के० जी० श्रीवास्तव के नाम भेजा गया था।

चूंकि अब नेशानल कम्पैन कमेटी का कार्यक्रम सामने आगया है, हमने अपने कन्वेंशन को १४-१५ मार्च के लिये स्थगित कर दिया है। हमें उम्मीद है कि आप इन तारीखों में, हमें कन्वेंशन करने के लिये अधिक से अधिक सहयोग करेंगे।

सद्भावनाओं सहित।

आपका साथी
[signature]
: सतीश गोकिला :
मजदूर सभा,
ग्वालियर (मध्यप्रदेश)

पत्र प्रतिलिपि पार्लियामेंट्री आफिस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, नई दिल्ली
२. श्री शाकिरअली खां, द्वारा म० प्र० कम्युनिस्ट पार्टी, भोपाल
३. श्री होमी एफ० दाजी, इंदौर
४. श्री संतसिंह युसुफ, कानपुर
५. श्री एस० एम० बेनर्जी, ~~कन~~ नई दिल्ली की ओर भेज कर निवेदन है कि कन्वेंशन २२-२३ फरवरी के स्थान पर १४-१५ मार्च को हो रहा है अतः आप उन ~~तारीखों~~ तारीखों में अधिक से अधिक सहयोग करें।

सद्भावनाओं सहित

आपका साथी

M A Z D O O R   S A B H A

Goshpura nO. 2, Gwalior City
6th February 1964

Com. K.G. Shrivastava,
Secretary, A.I.T.U.C.
4-Ashoka Road,
NEW DELHI.

A.I.T.U.C.
Received 5750 8/2/64.
Replied

Dear Comrade,

You will be pleased to learn that we have decided to hold a convention of Trade Unions of different trades, functioning in Gwalior region against the heavy increase in prices of essential commodities and in favour of increase in dearness allowences to workers. This convention will create a favourable atmosphere to implement the call of action commetee formed in Bombay and carry out an offencive movement against the mill owners and Govt. policies-against the masses.

We propose to hold the convention on 22-23 February '64.

We wish to invite some Hindi speaking M.P.'s like Sri S.M.Benerji, Dr. Mishra (Jamshedpur) to address our convention and Public meetings. We also need your presence in the convention as a necessity, and to add further your visit to Gwalior is long due.

Hence we request you to please convey ~~the information~~ who will be coming on these dates alongwith you.

We also need your guidence on the problems which should be initiated in the conference and some datas to provide some effective results.

Meanwhile preperation are going on and it will certainly gain speed if we receive your letter furnishing all details per return of post.

We need names of M.P.'s on or before 12th February as posters are to be printed and sent to different cities of Gwalior region.

We hope you will cooperate us.

With fraternal greetings.

Yours sincerely,
R. Sarvate
(RAMCHANDRA SARVATE)
PRESIDENT, MAZDOOR SABHA

Reg. No. 116

Burhar Colliery Mazdoor Sabha

बुढ़ार कालरी मजदूर सभा

(Affiliated to A I T U C)

President:- K. P. Singh

Gen. Secy:- ~~C. Madhavan~~ L. C. Gupta.

58423 15/2/64

DHANPURI

Date 8-2-1964

Ref. BMS/37

To,

The Chief Labour Commissioner
(Central, New Delhi

Res/Sir,

With respectfully I beg to informed you that the Conciliation officer (Central, Jabalpur is Mr. Malhotra and Agent of Burhar & Amlai colliery is also Mr. Malhotra. So, the conciliation officer is taking fallour of management Mr. Malhotra and he is favourite of Agent.

I requested many time to the conciliation offic for date of conciliation proceeding about some disputes as wrong-full stoppage and termination from work, the workers of Burhar & Amlai colliery. But he is not fixing the date of conciliation proceeding and passing the time any how.

your honour, In these circumstances the workers are getting much troubles and activities of union is also crushing by him.

There fore, I requested you for necessary action from conciliation officer (Central, JABALPUR

With thanks

Your's faithfully
L. C. Gupta
प्रधान मंत्री

पोस्टकार्ड
POST CARD

POSTAGE INDIA

मजदूर सभा, ... ग्वालियर (मध्यप्रदेश)

~~...~~ 3 comrades at each mills J.C. Mills, Motilal Agrawal Mill & Texmaco, will sit on hunger strike from 20th February to 22nd February 64.

With greetings.

Yours fraternally
K. Sarwale

To,

Shri K. G. Shrivastava

Secretary, All India Trade Union Congress,

Rani Jhansi Road

New Delhi - 1

Mazdoor Sabha, Lashkara no. 2.
Gwalior City 19th February 64

5928 24/2/64.

My dear K.G.,

I am in receipt of your letter dt. 14th Feb. 64 and have to inform that we have postponed the convention from 20th February to 14–15th March 64. This ~~date has~~ change has already been intimated to Com. Satish Loomba by our letter sent on 16th February.

Hence you are requested to arrange ~~...~~ comrades like Sri S.M. Banerji or ~~Dr.~~ Mishra & their concent may please be intimated at the earliest to make use of their names for Propaganda.

Hope you will take keen interest.

RATLAM CITY TRADE UNION COUNCIL
7/143, Kasari Darwaza,
RATLAM.

6208 5/3/64

Dt. 3.3.64

Dear Com. Sri Shrivastava,

I have, as per our talk on 27th Feb.64 or Rtm Rly. Stn. already extended our invitation to Sri S.M.Banerji on 1.3.64. We have decided to hold the Anti Dearness Conference on ~~xxxx~~ 8.3.64. I on behalf of the Trade Union Council request you to kindly persuade Com. Banerjee to attend the Conference possitively on 8th. He can come over here by Dehradun Exp. which reaches here at 3.30 PM. or by Janta Exp. which reaches here at 6 A.M. He can leave this please on the same day night by Janta at 9.30 PM. I have also sent him a telegram on 3.3.64.

Kindly also send your message for the conference.

Yours faithfully,

(A.N.Shrotriya)
Convenor.

Loshpura No. 2,
Gwalior City (M.P.)
5th March 1964.

My dear K. L. Shrivastava,

Your letter of 2nd March is in hand. Seeing the inability of Com. Mishra to come before 18th March, we have decided to hold the convention on 21st & 22nd March 64. Further change in these dates will not be possible. We hope you will intimate Mr. Mishra's acceptance to attend our conference. ~~for~~ We are sure that he will be with us for full day of 22nd March.

Better if he arrives Gwalior by G.T. on 21st which arrives here by 10 P.M. Please also send ~~his~~ a brief of his life to popularise him.

In your letter you have kept silence about yourself. Please do write about you in your next letter.

On 7th March we will demonstrate before three Mills i.e. J.C. Mills, Cemco, Motilal Agrawal Mills, which please note

meanwhile from today the hunger strike will start by 15 commrades before Municipal Corporation against the ~~continuous~~ proposed concession in Octroi ~~to~~ to Mills. This hunger strike will be leaded by Com. R. Sarvate.

Please reply at the earliest.

With best wishes & greetings.

yours sincerely

Satish Lavila.

First fold पहला मोड़

अन्तर्देशीय पत्र

INLAND LETTER

POSTAGE 10 nP INDIA १० नये

Com. K. G. Shrivastava,
Secretary,
All India Trade Union Congress,
Rani Jhansi Road,
NEW DELHI.

Second fold दूसरा मोड़

तीसरा मोड़ Third fold

भेजने वाले का नाम और पता :— Sender's name and address :—

Satish Lavila
C/o Mazdoor Sabha,
Roshpura No 2,
Gwalior City (M.P.)

COMPLETE ADDRESS ENSURES DELIVERY

9 March 1964

Dear Comrade Satish Govila,

Thanks for your letter dated 5th March. Dr. Mishra will be attending your conference on 22nd March. I am informing him at Jamshedpur for booking etc. He will directly let you know the exact train & of his arrival. He may agree to travel by G.T. Express on 21st evening reaching Gwalior by 10.00 p.m.

I have got a meeting here in the Ministry of Industry on 21st. I hope I will be free to travel by G.T. Express the same evening. I shall let you know later on.

Dr. Mishra was employed as a medical officer in the Tata Hospital at Jamshedpur. He has been taking part in the union activities and was and is the Vice-President of Jamshedpur Mazdoor Union. In 1958 strike at Jamshedpur when Government arrested all office bearers of union and unheard of repression was unleashed on workers not only was Dr. Mishra arrested but alongwith thousands of others was victimised and his services were terminated. As he could get bail,o-n him fail the responsibility of looking after the union and raising his voice against powerful Tatas and continued union activities in 1958-59 and subsequent years.

The workers of Jamshedpur elected him to Parliament in 1962 elections as a reply to the repression jointly enhanced by the Tatas and the Government of Bihar.

With greetings,

Yours fraternally,

(K.C.Srivastava)

मजदूर सभा उज्जैन
निजातपुरा (A.I.T.U.C. से सम्बद्ध)

६१
१८.३-६४

A.I.T.U.C.
Received 65 84 23/3/64
Replied ....

श्रीयुत :- सेक्रेटरी ऑल इंडिया ट्रेड
यु नि य न कं ग्रे स

प्रिय महोदय। मजदूर सभा उज्जैन की ओर से, ऑल इन्डिया ट्रेड युनियन कांग्रेस के फैसलों के अनुसार निम्नलिखित प्रोग्राम, पूरे किये गये,

(१) ता: २० फरवरी से २२ फरवरी तक ७२ घंटे की भूख हड़ताल का. रामासिंह के नेतृत्व में मिल गेट पर की गई. हजारों मजदूरों ने, भूख हड़तालियों की मांगो के प्रति सहानुभूती प्रकट की, ता: २३ फरवरी को आम सभा करके आगे के प्रोग्राम को समझाया गया,

(२) ता: ७ मार्च को, दो मिल गेटों पर, और टाइल फेक्ट्री व केलेन्डरिंग प्लान्ट व. डिस्टलरी, के. मजदूरों ने, मिल गेट पर १५ मिनट पहले प्रदर्शन किया व नारे लगाये, तथा ४ हजार मजदूरों ने, मांग के बेजेस लगाकर काम किया, विनोद मिल गेट का प्रदर्शन असरकारक था हजारों मजदूरों ने गेट पर रुक कर नारे लगाये व ठीक मील की सीटी पर अपने २ काम पर गये, नारे इतने जोर से लगाये जारहे थे, कि मील की सीटी भी, नारों में, सुनाई नहीं दी. ता: ८-३-६४ को आम छुट्टी थी उस रोज आम सभा की गई, आम सभा में. ११ सूत्रीय मांगो का महत्व समझाया गया, व अप्रेल में, पार्लियामेन्ट के सामने, होने जारहे सत्याग्रह को सफल बनाने की अपील की गई,

(३) उज्जैन में खास तोर पर हीरामिल में, प्राविडेन्ट फन्ड से जो कर्जा मिलना बन्द होगया था, उसके लिये ६ महीने से लगातार आन्दोलन चल रहा है, मजदूरों ने इस आन्दोलन को चलाने के लिये, संघर्ष सामिती का निर्माण, किया, संघर्ष सामिती को मजदूर सभा, का पूरा, समर्थन है. संघर्ष सामिती में शुरु में तिरंगा झंडा लेकर यह आन्दोलन, चलाया, बाद में मजदूरों ने खुद तिरंगा झंडा हटा दिया. २ जुलूस जिसमें, मशाल जुलूस भी थे निकाले, गये,

शुरू में इन्टक ने प्राव्हीडेन्ट फंड से कर्जे की मांग का विरोध किया, इसलिये इन्टकी लीडरों के खिलाफ मजदूरों ने काफी विरोध प्रकट किया व हजारों मजदूरों ने जुलूस निकाल कर इन्टकी लीडरों के पुतले जलाये गये श्रम मंत्री द्राविड़ का पुतला भी जलाया गया, बाद में इन्टकी लीडरों ने इस मांग का समर्थन किया लेकिन ये समर्थन, उपरीतोर पर था,

१०१ घंटे से लगाकर १५१ घंटे तक करीब २५ मजदूरों ने मिल गेट पर भूख हड़ताल की, आखिर में, मेनेजिंग डायरेक्टर के बंगले पर पिकेटिंग किया गया, मजदूरों के जोश व एकता, को देख कर मिल. मालिक को झुकना पड़ा, ओर, संघर्ष समिती के साथ (इन्टक) को छोड़कर समझौता किया गया, दोनो पक्षों ने पंच निर्णय स्वीकार कर लिया, पंच की नियुक्ति होगई. पंच के सामने, दो मांगे निर्णय के लिये रखी जायगीं, १ पहली मांग, हीरा मिल उज्जैन में जो प्रा. फं. से कर्जे मिलने की सहुलियत थी वह पुन: जारी की जाये, २ आन्दोलन के दौरान में बदले की भावना, से जिन मजदूरों को काम पर से निकाल दिया गया है, उन्हे, फिर से काम पर लिया जावे, तथा मावजा दिया जावे,

मजदूरों की इस मांग का उज्जैन की सब संस्थाओं ने समर्थन किया है, इसलिये, इस आन्दोलन, को काफी ताकत मिली, है. संघर्ष समिती में जनसंघ और कांग्रेस को छोड़ कर सब विचार धारा के लोग शरीक हैं. मजदूरों ने मिटिंग में, ~~[illegible]~~ ये प्रण किया था कि इन्टक की मेम्बरशिप स्वीकार नहीं करेंगे, उसके मुताबिक, मजदूर मिलो में इन्टक द्वारा जबरन व दबाव, से की जा रही, सदस्यता, का सख्त विरोध कर रहा है, इन्टकी प्रतिनिधी. झगड़े पर. उतारू हैं, तथा. ता. १३-३-६४ को संघर्ष समिती के लोगों के साथ झगड़ा किया. इसमें दोनो, पक्षों के २० आदमी गिरफ्तार किये गये बाद में जमानत पर छोड़े. गये, इस आन्दोलन, में इन्टक को काफी पीछे हटना हुई है. और जनता में बदनामी हुई है।

[illegible] रूपसिंह

मजदूर सभा उज्जैन

MATTER

A.I.T.U.C.
Received 6695 30/3/64

Mazdoor Sammelan of Gwalior region held on 21-22nd March in Gwalior City concluded after having pledged to support the 11 point demand charter of All India Trade Union Congress. The Sammelan was organised by Mazdoor Sabha and attended by 150 delegates representing Banmore, Mehgaon, Bhind, Gohad & different factories like J.C. Mills, Rayon Silk factory, SIMCO, Gwalior Potteries, Kalin Karkhana, Motilal Agrawal Mills.

Sammelan decided to send 20 Satyagrahis to offer satyagrah before Parliament on 15th April. Delegates unanimously passed ~~the~~ resolutions demanding upgradation of Gwalior City, Imposition of octroi duty on Industrial establishments of Gwalior, Immediate release of all trade union leaders detained under D.I.R., & ~~supporters~~ congratulated workers of Jay Engineering works, Calcutta for their strike & requested the central Govt. to intervene. ~~in the~~

Mazdoor Sammelan was inaugurated by veteran kisan ~~led~~ Leader Shri Balkrishna Sharma and report was placed by Shri Balak Das. Report which, was discussed and unanimously accepted, asked the Govt. to check the mounting prices, increase dearness allowances, Nationalisation of Banks, Oil companies, & sugar factories, Implementation of Bonus report, Correction in price Index & Govt. hold ~~on~~ control in grain trade.

Shri Homi Daji, M.P & Shri K.G. Shrivastava Secretary, All India Trade Union Congress attended the Sammelan.

In the evening of 22nd March, a huge public meeting was held at Hazira Maidan, which was presided by Shri Ram Chandra Sarvate, ~~President~~ convener of Mazdoor Sammelan. Shri K.G. Shrivastava while addressing the public meeting said, that every trade union, even I.N.T.U.C. has expressed grave concern over upward trend in market prices, concentration of national

wealth in few hands, widespread corruption & nepotism in high circles of Government. but Government, except issuing of statements & giving ~~false~~ assurances, have not come forward to handle the problems which have enveloped the whole country. The reason for not taking any firm action he explained, is relations with big business houses, which at the time of election oblige the Congress with crores of rupees. Further the people, under new budget, have been burdened with new taxes for which people were not prepared rather they were hoping some reduction in taxes already existing. This way people are being grinded by Govt & big capitalist & they (people) have been left with no other alternative than to adopt the course of action. He declared amidst cheering crowd that workers, peasants, Govt. employees, irrespective of their ideology - living all over India are united for the first time in the trade union movement in India, three fold programme of action was responded so enthusiastically. Hunger Strike by 50,000-thousands workers & demonstration before every factory on 4th March ~~are~~ have manifested the determination to face the challenge. Govt. employees of Delhi & Bihar have shown the way by taking out procession in thousands demanding increase in dearness allowance & check on mounting prices of commodities. Shri Shrivastava warned that if Govt. does not concede our just demands even after our Satyagrah before Parliament on 15th April, one day complete strike will be observed all over India to press the demands.

Homi Daji said that while all Congressmen talk very high of democratic socialism, they are busy to uproot it (the same). In Congress rule national wealth is at increase but per capita income has gone down. New Industries have been built but unemployment even of skilled workers & technicians are increasing. Production have increased in comparison to the last year but prices of every commodity have gone high with no limit. If this is socialism Daji

said, let it go to hell. He declared congress rule is meant for Industrialist where Birla too become socialist. Congress Govt. has become much sensitive & responsive for Industrialist while demand of the people go un heared. Such state of affairs cannot be tolerated any long. Now by our united force we are to show that real & decisive force rest in people & not in few people who have born with gold spoons in their mouth. In the last Dang appeal the gathering to unite, irrespective of ideological differences, because this is simply a matter whether we want to remain alive or dead. Dang said now ~~three~~ Two ~~course~~ ways are left for man i.e first people agree to face famine & die of hunger, secondly people agree to face the chalange by unite efforts. This is high time to ~~eta~~ act.

Earlier Shri Dang & Shrivastava were garlanded by many trade unions & Communist Party.

Satish Lavile

मजदूर सभा,
ग्वालियर (मध्यप्रदेश)

Extra

म ज दू र स म्मे ल न

स्थान - मायाचन्द की धर्मशाला, ग्वालियर नगर

२१ मार्च,१९६४

प्रतिनिधिगण,

यह सम्मेलन उस समय बुलाया जा रहा है जबकि -

+ केन्द्र तथा प्रान्तों के बजट प्रस्तुत हो चुके हैं, जिनमें आम जनता पर लदे हुए टेक्सों को कम करने की बात न करते हुए कुछ और टेक्सों को आम जनता पर लादा गया है ; मुनाफाखोर मिलमालिकों तथा विदेशी पूंजी को और अधिक फलने फूलने की छूट दी गई है ।

+ देश में दिनों दिन जीवनोपयोगी वस्तुओं के बाजार भाव सुरसा के मुंह की तरह बढ़ते जा रहे हैं तथा भारत सरकार इन बढ़ती हुई कीमतों पर अंकुश लगाने में असमर्थ रही है ।

+ मजदूर, किसान तथा कर्मचारी वर्ग बढ़ती हुई तेजाई से बेजार है और उसकी आर्थिक स्थिति शोचनीय हो गई है ।

+ अधिकांश मिलों के मजदूरों को वेतन के साथ मिलने वाली महंगाई उन महंगाई के आंकड़ों के आधार पर दी जा रही है जो पिछले कई सालों से श्रम विभाग द्वारा गलत ढंग से निकाले गये हैं । श्रम विभाग की इस गलती से अकेले बम्बई के सूती मिल मजदूरों को ६ करोड़ रूपये वार्षिक नुकसान होता रहा है ।

+ शासकीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में जो वृद्धि की गई है वह तेजी से बढ़ते हुए बाजार भाव की तुलना में मुसीबतों के विशाल रेगिस्तान में एक बूंद के समान है ।

+ पूंजीपति - मुनाफाखोर और भ्रष्टाचारी उच्च शासकीय पदाधिकारी एकजूत होकर दोनों हाथों से आम जनता को लूट रहे हैं । गलत ढंग से हिसाब पेश करके तथा अन्य भ्रष्ट तरीकों के द्वारा करोड़ों रूपये की टेक्सों की चोरी की जा रही है ।

+ राजाओं और नबाबों को, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के समय अंग्रेजों का साथ दिया है, प्रीवी पर्स के रूप में लाखों रूपये दिये जा रहे हैं ।

+ चारों ओर रिश्वत का बाजार गर्म है और भ्रष्टाचार का बोलबाला है ।

समूचे देश की जनता त्राहि त्राहि कर रही है। बर्दाश्त करने की हद आ गई है । विभिन्न कारखानों में काम करने वाले मजदूर, दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारी तथा आम दुकानदारों ने इन समस्याओं के संबध में, जो स्थाई रूप लेती जा रही है, सोचना आरंभ कर दिया है । कई बड़े बड़े औद्योगिक शहरों में इन समस्याओं पर विचार करने के लिये सम्मेलन हुए हैं । ग्वालियर में बुलाये जाना वाला मजदूर सम्मेलन उसी श्रृंखला की एक कड़ी है । हिन्दुस्तान के तमाम शहरों, गावों की जनता इन समस्याओं के कारणों और हल के बारे में किसी एक नतीजे पर पहुंचे, इस सम्मेलन के बुलाने का यही उद्देश्य है ।

आइये अब हम उन मुख्य समस्याओं पर विचार करें - जो आम जनता को खोखला किये दे रही है ।

बढ़ती हुई महंगाई - जीवनोपयोगी वस्तुओं के दामों में लगातार वृद्धि निस्संदेह ही विकराल रूप धारण कर चुकी है । इसके दो ही कारण हैं - प्रथम पूंजीपतियों तथा गल्ला चोरों पर नियंत्रण का अभाव, दूसरा शासन द्वारा जीवनोपयोगी वस्तुओं पर अत्यधिक कर । बड़े बड़े पूंजीपति वस्तुओं का उत्पादन अपने लाभ के लिये करता है न कि सामाजिक हित के दृष्टिकोण से । बड़े बड़े गल्ले के व्यापारी किसानों की गरीबी और ऋण ग्रस्तता का फायदा उठाकर सस्ते भाव पर गल्ला खरीदता है और बाजार में मनमाने दाम से गल्ला बेचता है ।

सम्मेलन के सभी प्रतिनिधि इस मत के हैं कि इस स्थिति को समाप्त करने के लिये आवश्यक है कि खाद्यान्नों का राज्यकीय व्यापार हो तथा उद्योगपतियों पर कठोर नियंत्रण किया जावे ।

देश के विकास के लिये योजनायें और उनकी सफलता के लिये धन की आवश्यकता सरकार को है - इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता । योजनाबद्ध आर्थिक विकास की महती आवश्यकता से भी कोई इन्कार नहीं कर सकता । इसके लिये टेक्स लगाये जाने से भी इन्कार नहीं किया जा सकता । बस यदि

विचारणीय प्रश्न कोई है तो यह कि कर भार किस पर डाला जाय - गरीब जनता पर या कि उन बड़े बड़े धन्ना सेठों पूंजीपतियों, गल्लाचोरों पर जो गरीब जनता का शोषण कर रहे हैं। स्पष्ट है कि कर भार बड़े बड़े थैली शाहों पर पड़ना चाहिये जिससे सरकार की आमदनी बढ़े।

सरकार का खजाना बढ़े तथा कल्याणकारी राज्य के लक्ष्य की पूर्ति हो। अतः यह भी आवश्यक है कि जनता के अत्यधिक हित तथा आधार भूत उद्योगों का शासन पूर्ण रूप से अपने हाथ में ले जिससे मुनाफाखोरी की प्रवृत्ति का ह्रास हो सके। हो सकता है कि अभी सभी महत्वपूर्ण उद्योगों को शासन हाथ में लेने की स्थिति में न हो - किन्तु कुछ प्रमुख उद्योग जैसे बैंक, तेल कंपनियां, शक्कर के कारखाने तथा विदेशी कंपनियों का शासन फौरन हाथ में ले सकता है। कई देशों ने आर्थिक विकास तथा जनहित की दृष्टि से, मुनाफाखोरी और भ्रष्टाचार को समाप्त करने की दृष्टि से इन उद्योगों को अपने हाथ में ले लिया है। अर्थात राष्ट्रीयकरण किया है। सीलोन, बर्मा, कम्बोडिया ऐसे ही वे एशियाई देश हैं।

सम्मेलन का विश्वास है कि इन उद्योगों के राष्ट्रीयकरण से शासन को लगभग ३०० करोड़ रूपये वार्षिक का लाभ होगा और पंचवर्षीय योजनाओं की पूर्ति के लिये उसे कोई और करलगाने की आवश्यकता नहीं होगी।

दूसरी जो प्रमुख समस्या है वह है मध्यम श्रेणी के व्यक्तियों की आय की। गरीब मजदूर और नौकर पेशा लोगों तथा आम दुकानदारों की आर्थिक स्थिति बाजार में बढ़ती हुई तेजाई से शोचनीय हो चुकी है। बाजार भावों में लगातार बढ़ोतरी की तुलना में मिलने वाला महंगाई भत्ता तो बहुत ही कम मात्रा में है।

कई कारखानों में महंगाई भत्ता स्थिर है किन्तु कई स्थानों में मंहगाई के आंकड़ों के आधार पर महंगाई भत्ता दिया जाता है किन्तु सरकार के श्रम विभाग की बड़े बड़े मिल मालिकों से साठ गांठ के कारण यह महंगाई का आंकड़ा जाली निकाला जाता है। इस प्रकार पूंजीपति, गरीब के जायज धन को भी अपनी तिजोरी में डाल लेता है।

सरकारी कर्मचारी स्थिर महंगाई भत्ते के कारण परेशान है क्योंकि सरकार न तो कीमतों पर नियंत्रण करती है और न महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी करती है। केन्द्रीय सरकार तथा कुछ प्रान्तों की सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाने की जो घोषणा की है वह बढ़े हुए बाजार भाव की तुलना में कुछ भी नहीं है।

स्पष्ट है कि यदि देश का योजना बद्ध विकास करना है, और जनता को करों के भार से बचाना है तो -

+ बैंकों, तेलकंपनियों, विदेशी कंपनियों तथा शक्कर के कारखानों का का राष्ट्रीकरण हो।

+ खाद्यान्नों का राज्यकीय व्यापार हो।

+ जीवनोपयोगी वस्तुओं के दामों पर नियंत्रण हो।

बढ़ती हुई बाजार भावों से मुक्ति का एक ही उपाय है कि -

+ सभी क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूर तथा कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जावे।

+ महंगाई का आंकड़ा सही निकाला जावे तथा ४ आने फी पाइंट के हिसाब से महंगाई दी जावे।

+ बोनस कमीशन की रिपोर्ट फौरन लागू की जावे।

खेद है कि उक्त न्यायोचित एवम जनहित की मांगों के संबंध में सरकार ने उपेक्षा पूर्ण रुख अपना रखा है। आम जनता में फैले व्यापक असंतोष को केवल भाषणों और आश्वासनों से शान्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है। शासन में कुछ ताकतें ऐसी हैं जो इन जायज मांगों को ठुकराना चाहती हैं क्योंकि ये मांगें उनके रुझान, पूंजीपतियों पर चोट करती हैं। उक्त जायज मांगों के प्रति शासन के असहयोगात्मक रुख से मजबूर हो, पूंजीपतियों की जकड़ में फंसे शासन को यह बताने के लिये कि अंतिम शक्ति जनता है - पूंजीपति नहीं - देश के समस्त उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों, शासकीय कर्मचारियों तथा दुकानदारों को संघर्ष का फैसला लेना पड़ा है।

सम्मेलन के प्रतिनिधिगण आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस द्वारा उक्त मांगों के लिये चलाये जाने वाले त्रिस्तरीय आन्दोलन को अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करते हैं।

रा० सवर्टे - संयोजक

प्रस्ताव

२२/मार्च को गवालियर में मायाचंद धर्मशाला में होने वाला गवालियर संभाग का यह मजदूर सम्मेलन सर्वसम्मति से यह निश्चित करता है कि गवालियर में चीजों की महगाई, किराये की दर एवं जनसाधारण के महगे होते हुए जीवन स्तर की दृष्टि से गवालियर शहर को उच्च श्रेणी का नगर घोषित किया जाना सर्वथा उचित है। गवालियर में बड़ी बड़ी संस्थाएं जैसे इंजीनियरिंग कालिज, मेडीकल कालिज, कृषि कालिज, फिजीकल ट्रेनिंग कालिज, विज्ञान कालिज, आयुर्वेदिक कालिज आदि है। अति शीघ्र ही गवालियर विश्वविद्यालय भी स्थापित होने जा रहा है। यहां अकाउंटेंट जनरल जैसे महत्वपूर्ण केन्द्रीय विभाग का प्रमुख कार्यालय भी है। जिसमें लगभग १५०० कर्मचारी कार्य करते है। अभी हाल ही में गवालियर में फौज का एक बड़ा केन्द्र भी स्थापित हुआ है। इन सब कारणों ~~को देखते हुए~~ के परणामस्वरूप शहर में जीवनयापन की वस्तुएं निरंतर ~~महगाई~~ महगी होती जा रही है एवं किराये की दर में अशातीत वृद्धि हुई है। साधारण कर्मचारियों के लिये तो अपनी जिंदगी चलाना मुश्किल हो गया है।

मजदूर सम्मेलन यह अनुभव करता है कि शासन द्वारा कुछ समय पहले जिन शहरों को बी श्रेणी का नगर घोषित किया गया है उनमें से कुछ शहरों की महगाई के आंकड़े किसी भी हालत में गवालियर की महगाई के आंकड़ों से अधिक नहीं है।

अतः सम्मेलन के समस्त प्रतिनिधिगण शासन से मांग करते है कि मजदूर तथा मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाने की दृष्टि से गवालियर शहर को सी श्रेणी के स्थान पर बी श्रेणी का नगर घोषित किया जावे।

Satish Lavila

प्रस्ताव

आज दिनांक २२-३-६४ को नागचंद धर्मशाला में होने वाला ग्वालियर संभाग का यह मजदूर सम्मेलन इस बात पर चिंता प्रगट करता है कि एक ओर कांग्रेस और कांग्रेसी सरकारें जनतंत्री समाजवाद का ढोल पीट रही हैं पर अमल में मुनाफाखोरी और मिल मालिकों को अनाप शनाप मुनाफा कमाने की छूट दे रही है। इसका ज्वलंत उदाहरण है चंद कांग्रेसी पार्षदों द्वारा ग्वालियर नगर निगम में रखा गया वह प्रस्ताव जिसमें औद्योगिक संस्थानों को चुंगी कर में छूट दिये जाने की बात कही गई है। इन औद्योगिक संस्थानों को छूट देने से नगर निगम को प्रतिवर्ष १६ लाख रुपये का घाटा होने का अनुमान है।

तत्कालीन म० भा० शासन द्वारा सन् १९५६ के एक आदेश के जरिये सन् १९५३ से १० साल के लिये इन औद्योगिक संस्थानों पर चुंगी कर माफ कर दिया गया था। यह काल १३ अगस्त ६३ को समाप्त हो गया। ८ अगस्त ६३ को म० प्र० शासन द्वारा गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति में कहा गया कि चुंगी कर उन्हीं औद्योगिक संस्थानों पर माफ करने बाबत विचार किया जावेगा जो सन् १९६१ या उसके बाद कायम हुए हों। म० प्र० शासन की इस विज्ञप्ति के पश्चात भी कांग्रेसी पार्षदों द्वारा औद्योगिक संस्थानों को चुंगी कर में छूट देने का यह प्रस्ताव नगर निगम की आमदनी को घटाने का षड्यंत्र है जो इन पार्षदों ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को दृष्टि में रखते हुए - मिल मालिकों के साथ मिल कर किया है।

सम्मेलन के प्रतिनिधिगण सर्वसम्मति से मांग करते हैं कि ग्वालियर के औद्योगिक संस्थानों को कोई रियायत न देते हुए माफी की अवधि समाप्त होने के दिनांक से अविलंब चुंगी कर वसूल किया जावे।

(signature)

मजदूर सभा,
ग्वालियर (मध्यप्रदेश)

प्रस्ताव

आज दिनांक २१-३-६४ को मायाचंद धर्मशाला में होने वाला ग्वालियर संभाग का यह मजदूर सम्मेलन ग्वालियर मजदूर आंदोलन के अमर शहीद जिन्होंने मजदूर वर्ग और आम जनता के हितों के लिये संघर्ष करते हुए अपनी जान कुर्बान करदी, के प्रति अपना हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता है।

सम्मेलन में उपस्थित समस्त प्रतिनिधिगण प्रतिज्ञा करते हैं कि जिस मजदूर हितों को आगे बढ़ाने का मार्ग को हमारे शहीदों ने प्रशस्त किया है उस मार्ग पर बिना झिझक आगे बढ़ेंगे।

[illegible]

ग्वालियर (मध्यप्रदेश)

प्रस्ताव

२२ मार्च को सामाजिक धर्मशाला में होने वाला ग्वालियर संभाग का यह मजदूर सम्मेलन जय इंजीनियरिंग वर्क्स, कलकत्ता के ७००० मजदूरों द्वारा गत १७ दिसंबर ६३ से की जाने वाली हड़ताल के प्रति गहरी चिंता प्रकट करता है।

जय इंजीनियरिंग वर्क्स के प्रबंधकों ने न केवल मजदूरों की उचित मांगों पर बातचीत करने से इंकार कर दिया है बल्कि मजदूरों को दबाने और उनकी एकता को कमजोर करने के लिये हर तरह की गैरकानूनी तरकीबें इस्तेमाल कर रहे हैं।

यह सम्मेलन केन्द्रीय तथा पश्चिमी बंगाल की सरकार से अपील करता है कि इस समस्या के हल के लिये बीच में पड़ कर कोई कदम उठाये।

मजदूर सभा,
ग्वालियर (मध्यप्रदेश)

प्रस्ताव

२२ मार्च को मायाचंद धर्मशाला में होनेवाला ग्वालियर संभाग का यह मजदूर सम्मेलन सर्वसम्मति से यह मांग करता है कि भारत रक्षा कानून के तहत नजरबंद किये गये समस्त मजदूर नेताओं को अविलंब रिहा किया जावे ।

देश में संकटकाल की घोषणा के पश्चात शासन द्वारा कई क्षेत्रों में लगाये गये अंकुश कहीं बहुत ढीले कर दियेगये हैं और कहीं समाप्त कर दिये गये हैं । उपचुनाव और चुनाव कराये जा रहे हैं । ऐसी स्थिति में संकटकाल के नाम पर इन नेताओं को नजरबंद किये रखने से यह शंका पैदा होती है कि कांग्रेसी सरकार रक्षा का बहाना ले कर राजनीतिक बदले ले रही है ।

सम्मेलन के समस्त प्रतिनिधि आम जनता से मजदूर नेताओं की रिहाई की मांग को बुलंद करने की अपील करते हैं ।

मजदूर सभा,
ग्वालियर (मध्यप्रदेश)

MAZDOOR SABHA

Satish Gorila

A.I.T.U.C.
Received 419 29/4/64.
Replied ....

Goshpura No. 2,
Gwalior City (M.P.)
27th April '64

My dear Com. Shrivastava,

Namaskar,

Our one commrade K.L. Kamal who has passed M.A. in Economics & English litterature desire to do research work for his Ph.D. on the subject "Labour unrest in Public Sector with special reference to M.P.

I request you to help him in preparing his synopsis on the subject by providing some material or ~~dir~~ direct to whome he should contact for guadence in this matter. If you are not having any literature please let me know the name of books which can be useful in this respect.

You too enlight our commrade Kamal on the subject.

An early reply on the above address ~~via~~ ~~airmail~~ is requested.

With greetings.

Yours sincerely

Satish Gorila

P.S.

Please write the address of Shri M.K. Pande who has been writing on labour in new age & also of Rajbahadur Gaur.

Satish Gorila

30 April 1964

Dear Comrade Satish,

Let Com. Kamal see me sometime in May when we can discuss in the details. We are having the Public Sector conference at Bangalore by the end of May. We can exchange material which can be of help. Com. M.K.Pandhe is staying at 79 North Avenue and is in AITUC office. Com. Raj Bahadur Gaur is the Secretariat Member of the Andhra P.C. and his address is Himayatnagar, Hyderabad.

With greetings,

Yours fraternally,

(K.G.Sriwastava)

NUTALLSWAR
TIRODI
DIST. Balaghat.

प्रिय कॉ० के. जी.

A.I.T.U.C.
Received 2652 28/...

बहुत दिन के बाद पत्र लिख रहा हूँ!

बालाघाट में ~~...~~ SKMS का काम अच्छा है!
इस समय C.P.M.O में काम जारी हैं! Balaghat में तीन C.P.M.O का केन्द्र है और तीनों जगह काम जारी है!

बालाघाट में दो 'ट्रेडयूनियन' काम कर रहे हैं! का. सुभाषसिंग भरवेली (Bharweli) में तथा एन.बी. राजपूत डोंगरी (Kstangri) में दो ... प्रचार

20 हजार सदस्य हैं! लेकिन फिर के हिसाब से इसमें ज्यादा है!
आप मेरा प्रिंटेड पत्र
T.U. Record. में जरूर छापेंगे!

आपका
ह. कृष्ण.

K. Nataleshwar
Secretary
S.K.M.S
Bakoda B.S.P. Camp. P.O. LalBarha.
DIST. Balaghat.

पोस्ट कार्ड
POST CARD
साथ का कार्ड जवाब के लिये
THE ANNEXED CARD IS INTENDED FOR THE ANSWER
केवल पता
ADDRESS ONLY

INDIA

प्रति,
का. के. जी. श्रीवास्तव
सेक्रेटरी ऑ. आय. टी. यू. सी.
५ झंडेवालान, रानी झांसी रोड
नई दिल्ली
NEW - DELHI

२०।९।६४

मजदूर सभा की ओर से
बोनस दिन

7350 [illegible]/9/64

२४।९।६४ को मजदूर सभा उज्जैन की ओर से बोनस दिन मनाया गया। दोनों पालियों में गेट पर मीटिंग की गई तथा प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन कारी सूती मिल के श्रमिक थे प्रदर्शन समाप्त होने पर अ. रज्जाक सा. की अध्यक्षता में सभा की गई कि

बोनस कमीशन की बहुमत की रिपोर्ट में केन्द्रीय शासन ने रद्दो बदल किया है वह मजदूर विरोधी है इसीलिये रिपोर्ट में शासन द्वारा किया गया रद्दो बदल वापस किया जावे और सन १९६२ व ६३ का भी उचित बोनस फौरन दिया जावे। शासन व उद्योग पतियों से अपील की गई कि मजदूरों की बोनस संबन्धी मांगें पूरी नहीं की गई तो हड़ताल करने का आव्हान किया गया

अध्यक्ष

अ. रज्जाक

मजदूर सभा उज्जैन
नजरबपुरा (A.I.T.U.C) [illegible]

श्रीयुत मन्त्री महोदय
ए. आई. टी. यू. सी. पांच झन्डे वालान
देहली

मजदूर सभा उज्जैन का उद्योगपति व शासन को

नोटिस

❀ बोनस कमीशन का संशोधन वापिस लो !

❀ ६२–६३ का बोनस फौरन दो !!

❀ वर्ना हड़ताल की जायगी !!!

मजदूर भाइयों !

मजदूरों के लगातार संघर्षों के बाद बोनस कमीशन बनाया गया। बोनस कमीशन की रिपोर्ट के इंतजार में दो वर्ष का बोनस रूका हुआ है। ८ माह विचार करने के केन्द्रीय शासन ने बोनस कमीशन की रिपोर्ट में काट छांट करके बड़े उद्योगपतियों के पक्ष में निर्णय देदिया है। शासन ने जो काट छांट रद्दोबदल किये हैं उनमें बड़े उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों को ज्यादा बोनस मिलने में रुकावट पैदा होंगई है। बोनस कमीशन की सिफारिशों पर शासन ने ध्यान नही दिया और उद्योगपतियों के नुमाइन्दों की राय के अनुसार रिपोर्ट में तरमीमें करदी। त्रिदलीय श्रम सम्मेलन में भी जो बातें तय की गई थी उन पर भी अमल नहीं करके शासन ने पूंजीपतियों की तरफदारी में मजदूर विरोधी कार्य किया है। शासन द्वारा बोनस कमीशन की रिपोर्ट में रद्दोबदल करने का देश के सभी मजदूर यूनियनों ने सख्त विरोध किया है।

मजदूर सभा उज्जैन बोनस कमीशन की रिपोर्ट में केन्द्रीय शासन द्वारा जो रद्दोबदल किये हैं उसका सख्त विरोध करती है, और शासन से अनुरोध करती है कि बोनस कमीशन की बहुमत की सिफारिशों में कीगई काटछांट वापिस की जावे। सन् ६२–६३ उचित बोनस फौरन दिया जावे।

साथियों ! दो साल तक बड़े सब्र के साथ बोनस कमीशन के फैसले का इन्तजार किया आखिर में केन्द्रीय शासन ने श्रमिक वर्ग के साथ न्याय नहीं किया तथा बोनस कमीशन की रिपोर्ट को पराने बोनस फार्मुले के अनुसार बना दिया है।

इसलिये इस महत्वपूर्ण समस्या पर तमाम मजदूर युनियनों को तथा सब मजदूरों ने एक होकर आन्दोलन करना पड़ेगा। मजदूर साथी इसकी तैयारी करें।

(कृपया उलट कर पढ़िये)

-: बोनस दिन :-

तारीख २५।९।६४ को सारे देश में बोनस दिन मनाया जायगा। मजदूर सभा उज्जैन की ओर से तारीख २५।९।६४ को रात व दिन पाली में गेट पर बड़ी आम सभा होंगी तथा जुलूस भी निकाला जावेगा। तमाम मजदूर साथियों से अपील है कि अपनी इस मांग के लिये एक होकर कार्यक्रम में शरीक होवें।

मजदूर सभा उज्जैन बनाम मजदूर भाइयों से अपील करती है कि बोनस के प्रश्न पर शासन व मिल मालिकों द्वारा टालटूल की गई तो हमें हड़ताल की तैयारी करना चाहिये।

* मजदूर एकता जिन्दाबाद !
* मजदूर सभा जिन्दाबाद !
* बोनस कमीशन की सिफारिशों की काटछांट वापस लो !
* ६२-६३ का बोनस फौरन दिया जावे !

दिनांक २५-९-६४

अब्दुल रज्जाक
अध्यक्ष
मजदूर सभा, उज्जैन

रामसिंह
जनरल सेक्रेटरी
मजदूर सभा, उज्जैन

मोहन प्रिंटिंग प्रेस, उज्जैन.

INVEST WISELY
Buy NATIONAL SAVINGS CERTIFICATES

INDIAN POSTS AND TELEGRAPHS DEPARTMENT

Class Prefix ग Code 2055

No. HVC-4 C

Recd. from S AG

By

Sent at ____ H. ____ M.

To

By

Office-stamp: [illegible] NEW DELHI 21 9 66 G.T.O.

Handed in at (Office of Origin)	Date	Hour	Minute	Service Instructions	Words
अप -12 ग्वालियर	20		आपते		5|

TO मंत्री, आल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, झंडेवाला, नई दिल्ली।

Recd. here at ____ H. ____ M.

= कृपया [illegible] [illegible] की [illegible] हुई [illegible] भोपाल के मजदूर। [illegible] [illegible] [illegible] और [illegible] की [illegible] से अधिक [illegible] चिन्तित हैं। = [illegible] मजदूर [illegible] ग्वालियर

[T-30-5/53]
MGIPAh.—300—1-6-63—2,60,950 Bks.

Raigarh Jute Mill Labour Union

Sarangarh Road, RAIGARH, (M. P.)

Indefinite Hunger Strike by Shri R.S. Tiwari, General Secretary, Raigarh Jute Mill Labour Union, Raigarh from 23rd. Septr. 1964 for implementation of Central Wage Board fo Jute Industry Properly in its True spirit & Demand for bonus.

*****

The recommendations of the Jute Wage Board ought to have been implemented by October, 1963. But the management of Raigarh Jute Mills Ltd., has not yet implemented properly and in its true spirit. Some portions of the report were implemented in the month of December, 1964 by misinterpreting the recommendations. More than a dozen letters were sent to the management as well as to the labour autherities by the Union. Several bipertite and tripartite meetings were held. But the management has been changing its interpretations from time to time. The concerning Govt. Labour autherities agree to the demands of Union in respect of the Jute Wage Board, Yet they have not yet adopted any of active step so that the management may agree to implement the report ofthe Wage Board properly. During conciliation proceedings dated 29th August, 1964 the Union agreed to submit the disputes to voluntary arbitration and proposed the name of Shri Indrajeet Gupta M.P. who was one of the members of the Jute Wage Board as a representative of the employes But the mill management did not agree to submit the disputes for arbitration.

Under the above circumstances there is no other course left before the Union than to launch struggle Shri Tiwari will resort indifinite Hunger Strike from 23rd. September 1964 which may follow by general strike.

Demands.

1) Complements of Workers :- 85% of the total labour strength should be made permanent without keeping 12½% less from the total number of workers employed in Raigarh Jute Mill.

2) Badli workers should be given work in strict rotation Apprentices should not be appointed in place of badlies.

3) Mistries should be fixed in proper grades.

4) Deduction by one paise from the basic wage of minimum rate from July 64 should be refunded.

5) Contact labours should be paid minimum wage.

Raigarh Jute Mill Labour Union
Sarangarh Road, RAIGARH, (M. P.)

6) Clerical staff should be given due increment and accordingly this be up-graded properly from July, 1964.

Bonus.

7) Special Bonus: Monthly paid employees should be paid their due bonus for the year 1962-63 and 1963-64 by the end of Septr. 1964 and from now on wards they should be paid in the month of July, every year.

8) Production Bonus:- The system of production bonus which was prevelent prior to the report of the wage Board should be restored.

9) Report of the Bonus commission should be implemented.

10) 14th. November should be declared as paid holiday as Nehru Jayanti Day for every year.

R.P. Tiwari

General Secretary.
Raigarh Jute Mill Labour Union.

V.Ramadasan, G.Off e,
C/o The Gwalior Sugar Co.Ltd
P.O.Dabra (C.Rly .P.

Dear Comrade,

A.I.T.U.C.
Received 2977 21.12.64
Replied

30th Nov. 196

Sub: Information regarding enhanced D.A. for Sugar Workers, w.e.f. 1st July, 1 4.

From available indications we could understand t t the Union Govt. has sanctioned an increasement in D.A for Sugar Workers ranging from Rs.9.35 nP to Rs.11.5 w.e.f. 1st July 1964. Therefore I shall be thankful you will kindly arrange to send me the necessary infc atio on the following items:-

i) Number & Date of Govt. Notification sanctio g increasement in D.A.

ii) The amount of increasement in D.A. in U.P. & M.P. separately for Sugar Factory employees.

iii) At what date it is being enforced by the re: ctiv State Govts. and whether the management has started giving the same.

Please also let me know the addresses of Trade Unions for Sugar Workers (Affiliated to AITUC) in Mad ya Pradesh so as to enable me to address them for furthe information in future in this regard.

Due to the lack of correct information, the I C peoples spreading wrong news here that the Govt. has sanctioned the D.A. only from Oct. 1964 whereas we c d gather that the Govt. had sanctioned this since July 64.

In the interest of the working mass, will you eas kind enough to send me the required information by r rn post. I appreciate you will very kindly give this t ter your most immediate attention.

Awaiting for an early reply.

Thanking you once again.

Yours sincerely,

V.Ramadasan

(V.Ramadasan)

The Secretary,
AITUC,
Ashok Road,
4-Block,
NEW DELHI.